इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2026–माघ 10, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

क्र. F.No. 24–विधि–प्रनिबो–2025.– आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का क्रमांक 18) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उप–खण्ड (ii) ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसा कि केन्द्रीय सरकार, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के परामर्श से तथा राज्य के हित में, स्वैच्छिक आधार पर विहित करें, आधार अधिप्रमाणन करने की अनुमति प्रदान करती है.

अतएव, ऐसे प्रयोजनों के लिए भारत सरकार द्वारा आधार अधिप्रमाणन (सदाचार शासन सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 बनाए गए हैं, जिनके अंतर्गत राज्य सरकार स्वैच्छिक आधार पर "आधार" का उपयोग करने के लिए उक्त नियमों के अधीन अनुमति की अपेक्षा कर सकती है.

इस संबंध में भारत सरकार (इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) द्वारा विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से परामर्श उपरांत, अपने कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 13 (2)/2021–EG-II, दिनांक 20 मार्च, 2025 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से मध्यप्रदेश शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग को आधार अधिप्रमाणन (सदाचार शासन सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 3 के उपनियम (1) में विहित प्रयोजनों के लिए, आधार संख्या धारक की पहचान के अधिप्रमाणन हेतु आधार प्रमाणीकरण करने तथा प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति प्रदान किए जाने एवं उक्त नियमावली के नियम 5 को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधि नियम, 2016 की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उप–खण्ड (ii) के साथ पठित करते हुए अधिसूचित किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया है –

(i) इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (IEMS) पर उद्योग क्षेत्रों से संबंधित आवेदकों का पंजीयन,

(ii) आधार हाँ/नहीं (Yes/No) प्रमाणीकरण तथा/अथवा ई–केवाईसी (e-kyc) प्रमाणीकरण के माध्यम से आवेदकों अथवा अधिकृत व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, एतदद्वारा, अधिसूचित करता है कि उद्योग क्षेत्रों से संबंधित सेवाओं हेतु ऑनलाइन पंजीयन के प्रयोजनार्थ आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा संचालित "इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (IEMS)", आधार अधिप्रमाणन (सदाचार शासन, सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली. 2020 के नियम 5 के अनुसार पहचान के प्रयोजन हेतु, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 13(2)/2021–EG-II, दिनांक 20 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, स्वैच्छिक रूप से आधार अधिप्रमाणन की अपेक्षा कर सकेगा.

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए तथा आदेशानुसार,

ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव.

Bhopal, the 19th January 2025

No. 24–विधि–प्रनिबो–2025.– Section 4 (4) (b)(ii) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), allows performing authentication on a voluntary basis, for such purpose, as the Central Government, in consultation with the Authority and in the interest of the State, may prescribe.

WHEREAS, for such purpose, the Government of India has framed the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, wherein the State Government can seek permission under the said rules to use Aadhaar on a voluntary basis.

In this regard, the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter F. No. 13(2)/2021-EG.II, dated 20th March, 2025, the Housing and Environment Department, Government of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the said Department), for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (here in after referred to as the said rules), that the said Department may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act);

And, whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for verification of identity of applicants or authorized persons belonging to industry sectors during registration on the online system "Integrated Environment Management System (IEMS)" (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Department shall perform Aadhaar authentication only for the following use case(s), namely:-

Registration of applicants on Integrated Environment Management System (IEMS);

Verification of identity of applicants or authorized persons using Aadhaar Yes/No authentication and/or e-KYC authentication.

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-Section (4) of section 4 of the Act, the Housing and Environment. Department, Government of Madhya Pradesh, hereby notifies the following. namely:-

(1) The Department, as provided in the Act, shall obtain the informed consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

(2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis and the Department shall inform the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny ariy service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication.

This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette of Madhya Pradesh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

A.A. MISHRA, Member Secy.

(G-774)

नाम परिवर्तन

मैं, पवन कुमार यादव पिता रमेश कुमार यादव, निवासी– जगदीश वार्ड नं. 10, रहलीखास रहली, सागर, जिला सागर (म.प्र.). मेरे पुत्र निशांत यादव पिता पवन कुमार यादव के शैक्षणिक दस्तावेजों में पिता का नाम हिन्दी और अंग्रेजी में महेन्द्र यादव (MAHENDRA YADAV) त्रुटिवश अंकित हो गया है, जिसके स्थान पर सुधारकर पवन कुमार यादव (PAVAN KUMAR YADAV) नाम मुझे मेरे पुत्र निशांत यादव पिता पवन कुमान यादव के शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अंकसूची में दर्ज कराना है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम पवन कुमार यादव (PAVAN KUMAR YADAV) के नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा– पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(पवन कुमार यादव)

(PAVAN KUMAR YADAV)

पिता– रमेश कुमार यादव.

(G-775)

नाम परिवर्तन

मैं, संतोष कुमार चौधरी (SANTOSH KUMAR CHOUDHARY) पिता राम दयाल चौधरी (RAM DAYAL CHOUDHARY), निवासी– ग्राम प्रेमपुरा, पोस्ट बरौदिया कला, जिला सागर (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम फूलसींग (FOOL SINGH) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम संतोष कुमार चौधरी (SANTOSH KUMAR CHOUDHARY) पिता राम दयाल चौधरी (RAM DAYAL CHOUDHARY) जो कि सही है. मेरे पी.एफ., पासपोर्ट, एवं मेरे बच्चों के दस्तावेजों में मेरा नाम संतोष कुमार चौधरी (SANTOSH KUMAR CHOUDHARY) पिता राम दयाल चौधरी (RAM DAYAL CHOUDHARY) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम संतोष कुमार चौधरी (SANTOSH KUMAR CHOUDHARY) पिता राम दयाल चौधरी (RAM DAYAL CHOUDHARY) के नाम से नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा– पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(फूलसींग)

(FOOL SINGH)

नया नाम

(संतोष कुमार चौधरी)

(SANTOSH KUMAR CHOUDHARY)

पिता– राम दयाल चौधरी.

(G-776)

नाम परिवर्तन

मैं, रूपेश कनकने पिता गोपाल कनकने, निवासी– शास्त्री वार्ड देवरी, जिला सागर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम जीनियस (JINIYASH) दर्ज हो गया है, जो गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में सही नाम श्रेयश कनकने (SHREYASH KANKANE) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे पुत्र का सही नाम श्रेयश कनकने (SHREYASH KANKANE) के नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रूपेश कनकने)

पिता– गोपाल कनकने.

(G-777)

नाम परिवर्तन

मैं, ग्याप्रसाद चमार पिता खिलान चमार, निवासी– गम्भीरिया वार्ड नं. 04, मंकरोनिया सागर, जिला सागर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम खचोरी अहिरवार पिता खिलान अहिरवार दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी सेवा पुस्तिका एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम ग्याप्रसाद चमार (GAYAPRASAD CHAMAR) जो कि मेरी सेवा–पुस्तिका में संशोधित हेतु लंबित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम ग्याप्रसाद चमार (GAYAPRASAD CHAMAR) के नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा– पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(खचोरी अहिरवार)	**(ग्याप्रसाद अहिरवार)**
(KHACHORI AHIRWAR)	**(GAYAPRASAD CHAMAR)**
	पिता– खिलान अहिरवार

(G-778)

नाम परिवर्तन

मैं, भागीरथ राजगौड़ पति मल्थू राजगौड़, निवासी– ग्राम बम्होरी बीका, पोस्ट बम्होरी बीका, जिला सागर (म.प्र.) मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम भागीरथ गौंड (BHAGIRATH GOUND) दर्ज हो गया है, जो गलत है, जबकि मेरा सही नाम भागीरथ राजगौड़ (BHAGIRATH RAJGOND) जो कि सही है. मेरे सर्विस पेंशन के दस्तावेजों एवं सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम भागीरथ राजगौड़ दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम भागीरथ राजगौड़ (BHAGIRATH RAJGOND) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा– पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(भागीरथ गौंड)	**(भागीरथ राजगौड़)**
(BHAGIRATH GOUND)	**(BHAGIRATH RAJGOND)**
	पिता– मल्थू राजगौड़.

(G-779)

नाम परिवर्तन

मैं, राम कुमार कुर्मी पिता मनमोद कुर्मी, निवासी– ग्राम पटना बाबा, पोस्ट देवरी, नाहरमऊ मेढकी, तह. व जिला सागर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम निशा (NISHA) दर्ज हो गया है, जो गलत है, जबकि सही नाम मालती कुर्मी (MALTI KURMI) जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त सही नाम मालती कुर्मी (MALTI KURMI) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा– पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(निशा)	**(मालती कुर्मी)**
(NISHA)	**(MALTI KURMI).**
	पिता– राम कुमार कुर्मी.

(G-780)

नाम परिवर्तन

विवाह के पूर्व मेरा नाम हर्षा कृष्णानी (HARSHA KRISHANANI) था, जो कि मेरे आधार कार्ड में अंकित है, श्री तुलसी दास भाटिया से विवाह के उपरान्त मेरा नाम कशिश भाटिया (KASHISH BHATIA) पति तुलसी दास भाटिया हो गया है, जो मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा परिवर्तित नाम कशिश भाटिया (KASHISH BHATIA) पति तुलसी दास भाटिया लिखा–पढ़ा एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हर्षा कृष्णानी) **(HARSHA KRISHANANI)**	(कशिश भाटिया) **(KASHISH BHATIA)** पति– तुलसी दास भाटिया पता– 11, जमना नगर, काटजू कॉलोनी इन्दौर (म.प्र.).

(G-781)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार जैन (Prafull Kumar Jain) दर्ज है तथा शैक्षणिक दस्तावेजों पर मेरा नाम प्रफुल्ल जैन (Prafull Jain) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम प्रफुल्ल जैन (Prafull Jain) लिखा–पढ़ा जावे एवं मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रफुल्ल कुमार जैन) **(Prafull Kumar Jain)**	(प्रफुल्ल जैन) **(Prafull Jain)** पिता– सुशील जैन पता– झंडा चौक, गोपालगंज, सागर (म.प्र.).

(G-782)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम निलेश सिंह (NILESH SINGH) पिता रोशन सिंह (ROSHAN SINGH) माता रानी (RANI) है, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पुर्व में त्रुटिवश मेरा नाम निलेश सिंह बैस (NILESH SINGH BAIS) पिता रोशन सिंह बैस (ROSHAN SINGH BAIS) माता रानी सिंह बैस (RANI SINGH BAIS) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम निलेश सिंह (NILESH SINGH) पिता रोशन सिंह (ROSHAN SINGH) माता रानी (RANI) लिखा– पढ़ा एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(निलेश सिंह बैस) **(NILESH SINGH BAIS)** पिता– रोशन सिंह बैस माता– रानी सिंह बैस	(निलेश सिंह) **(NILESH SINGH)** पिता– रोशन सिंह, माता– रानी पता– 68, छोटी कुम्हार खाड़ी इन्दौर (म.प्र.).

(G-783)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम तनिष धाकड (TANISH DHAKAD) पिता दुर्गालाल धाकड है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है, किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम विक्रम धाकड (VIKRAM DHAKER) पिता दुर्गालाल धाकड दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजो पर उसका सही नाम तनिष धाकड (TANISH DHAKAD) लिखा–पढ़ा एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(दुर्गालाल धाकड)

पता– 268, डी राजनगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-784)

उपनाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम रिंकू ठाकुर (RINKU THAKUR) पिता भुवानसिंह था, जो कि मेरे कुछ शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. श्री अजय अलावा से विवाह के उपरान्त मेरा नाम रिंकू अलावा (RINKU ALAWA) पति अजय अलावा हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा परिवर्तित नाम रिंकू अलावा (RINKU ALAWA) पति अजय अलावा लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रिंकू ठाकुर)	**(रिंकू अलावा)**
(RINKU THAKUR)	**(RINKU ALAWA)**
	पति– अजय अलावा
	पता–104, गाजीपूरा, पशु चिकित्सालय के पास, खल बुजुर्ग, खलघाट धार (म.प्र.).

(G-785)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम शाहेना (SHAHENA) पिता शेख रफीक (SHEKH RAFIQUE) है, जो कि मेरे कुछ शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम शाहिना बी (SHAHENA BEE) पिता रफीक शेख एवं कुछ में शाहीना (SHAHINA) पिता मोहम्मद रफीक (MOHAMMED RAFIQUE) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा एवं मेरे पिता जी का सही नाम शाहेना (SHAHENA) पिता शेख रफीक (SHEKH RAFIQUE) लिखा–पढ़ा एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शाहीना)	**(शाहेना)**
(SHAHINA)	**(SHAHENA)**
पिता– मोहम्मद रफीक	पिता– शेख रफीक
	पता– 52, सहयोग नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-786)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम दक्ष धाकड (DAKSH DHAKAD) पिता दुर्गालाल धाकड है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम अमित धाकड (AMIT DHAKER) पिता दुर्गालाल धाकड दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में उसका सही नाम दक्ष धाकड (DAKSH DHAKAD) पिता दुर्गालाल धाकड के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(दुर्गालाल धाकड)

पता– 268, डी राजनगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-787)

नाम परिवर्तन

पूर्व मे मेरा नाम गुलु सितलानी (GULU SITLANI) पिता भगवानदास सितलानी था, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम गुलु बी सितलानी (GULU B SITLANI) दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर गुलशन सितलानी (GULSHAN SITLANI) पिता भगवानदास सितलानी कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य मे मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा परिवर्तित नाम गुलशन सितलानी (GULSHAN SITLANI) पिता भगवानदास सितलानी लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गुलु सितलानी)	**(गुलशन सितलानी)**
(GULU SITLANI)	**(GULSHAN SITLANI)**
(गुलु बी सितलानी)	पिता– भगवानदास सितलानी
(GULU B SITLANI)	पता– फ्लैट नं. 01, मशरत अपार्टमेंट, 42, श्री नगर एक्सटेंशन, इंदौर (म.प्र.).

(G-788)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम अफसाना (AFSANA) पिता शेख रफीक (SHEKH RAFIQUE) है, जो कि मेरे कुछ शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरे पिता का नाम मोहम्मद रफीक (MOHAMMED RAFIQUE) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा एवं मेरे पिता जी का सही नाम अफसाना (AFSANA) पिता शेख रफीक (SHEKH RAFIQUE) लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अफसाना)	**(अफसाना)**
(AFSANA)	**(AFSANA)**
पिता– मोहम्मद रफीक	पिता– शेख रफीक
	पता– 52, सहयोग नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-789)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम शबनम (SHABNAM) पिता शेख रफीक (SHEKH RAFIQUE) है, जो कि मेरे कुछ शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरे पिता का नाम शेख मोहम्मद रफीक (SHEIKH MOHAMMED RAFIQUE) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम अफसाना (SHABNAM) पिता शेख रफीक (SHEKH RAFIQUE) लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शबनम)	**(शबनम)**
(SHABNAM)	**(SHABNAM)**
पिता– शेख मोहम्मद रफीक	पिता– शेख रफीक
	पता– 52, सहयोग नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-790)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम सुशीला सोनकर (SUSHILA SONKAR) पति जगन्नाथ सोनकर था, जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर रानी सोनकर (RANI SONKAR) पति जगन्नाथ सोनकर कर लिया है, जो मेरे वोटर कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा परिवर्तित नाम रानी सोनकर (RANI SONKAR) पति जगन्नाथ सोनकर लिखा–पढा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुशीला सोनकर)	**(रानी सोनकर)**
(SUSHILA SONKAR)	**(RANI SONKAR)**
	पति– जगन्नाथ सोनकर
	पता– 15/3, तिलक नगर, इंदौर (म.प्र.).

(G-791)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम सुजाता जाधव पत्नी विशाल जाधव था. न्यायालय से प्राप्त विवाह विच्छेद के उपरान्त मैं, अपनी पहचान जो विवाह पूर्व थी, अर्थात सुजाता वाडेकर पुत्री विष्णु वाडेकर, निवासी– मकान क्रमांक 38, सिद्धि विनायक परिसर नीलबड़ चौराहा, भोपाल (म.प्र.) कराना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी पहचान–पत्रों में मेरा नाम सुजाता वाडेकर पुत्री विष्णु वाडेकर के नाम से जाना–पहचाना, एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(सुजाता जाधव).

(G-792)

नाम परिवर्तन

मेरे परिचय–पत्र, समग्र आई.डी. राशन कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण–पत्र, पंचायत का प्रमाण–पत्र में मेरा नाम विवाह पश्चात् कान्ति धुर्वे पति बुद्धु धुर्वे दर्ज है, जो सही नाम है, जबकि राजस्व अभिलेख में कोयली व पुत्री बुद्धु उईके जाति गोंड दर्ज है, जो कि गलत नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे कान्ति धुर्वे पति बुद्धु धुर्वे के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कोयली व)	**(कान्ति धुर्वे)**
पुत्री– बुद्धु उईके	पति– बुद्धु धुर्वे
	निवासी– रतनपुर, पो. सोहागपुर,
	तहसील व जिला बैतूल (म.प्र.).

(G-793)

नाम परिवर्तन

मैं, हरिओम पाटीदार पुत्र कैलाशचंद पाटीदार, निवासी– 245, ग्राम बखतपूरा, तहसील बदनावर, जिला धार (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम कुछ दस्तावेजों में हरिओम पुत्र हरिओम पाटीदार (HARIOM S/o. HARIOM PATIDAR) तथा कुछ में सही नाम लक्ष्य पाटीदार पुत्र हरिओम पाटीदार (LAKSHYA PATIDAR S/o. HARIOM PATIDAR) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को लक्ष्य पाटीदार पुत्र हरिओम पाटीदार (LAKSHYA PATIDAR S/o. HARIOM PATIDAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(हरिओम पाटीदार)
पुत्र– कैलाशचंद पाटीदार

(G-794)

नाम परिवर्तन

मैं, दशरथ पाटीदार पुत्र छोटूलाल पाटीदार, निवासी– तिलगारा PO. तिलगारा, तहसील बदनावर, जिला धार (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में अगम पुत्र दशरथ (AGAM S/o. DASHARATH) तथा कुछ दस्तावेजों में सही नाम अंशु पाटीदार पुत्र दशरथ पाटीदार (ANSHU PATIDAR S/o. DASHARATH PATIDAR) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को अंशु पाटीदार पुत्र दशरथ पाटीदार (ANSHU PATIDAR S/o. DASHARATH PATIDAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(दशरथ पाटीदार)
पुत्र– छोटूलाल पाटीदार.

(G-795)

उपनाम परिवर्तन

मैं, नंदनी नागले (Nandini Nagle) पुत्री श्री धनराज नागले (Dhanraj Nagle), निवासी– म. नं. एलआईजी ब्लॉक–बी 3. ट्रांसपोर्ट नगर, कोकता बायपास, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरी कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची में त्रुटिवश मेरा नाम नंदनी पाटिल (Nandini Patil) एवं पिता का नाम मनीष पाटिल (Manish Patil) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम नंदनी नागले (Nandini Nagle) पुत्री श्री धनराज नागले (Dhanraj Nagle) है, जो कि सही है, जो कि मेरे अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम नंदनी नागले (Nandini Nagle) पुत्री श्री धनराज नागले (Dhanraj Nagle) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नंदनी पाटिल)	**(नंदनी नागले)**
(Nandini Patil)	**(Nandini Nagle)**
पिता– मनीष पाटिल	पुत्री– श्री धनराज नागले
(Manish Patil)	**(Dhanraj Nagle).**

(G-796)

नाम परिवर्तन

मैं, भावना श्रीवास्तव पुत्री एन.पी. श्रीवास्तव, निवासी– म.नं. 3, ग्राम झिरनिया, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में नाम भावना श्रीवास्तव (BHAVNA SHRIVASTAVA) पुत्री एन वी श्रीवास्तव (N P SHRIVASTAVA) है व अन्य शासकीय अशासकीय दस्तावेजों में मेरा अंजुम भावना (ANJUM BHAWNA) पत्नी शेख चंद्र (SHEIKH CHANDRA) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे भावना श्रीवास्तव (BHAVNA SHRIVASTAVA) पुत्री एन पी श्रीवास्तव (N P SHRIVASTAVA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अंजुम भावना)	**(भावना श्रीवास्तव)**
(ANJUM BHAWNA)	**(BHAVNA SHRIVASTAVA).**

(G-797)

नाम परिवर्तन

मैं, अमरलाल उइके पिता सूरज उइके, निवासी– ग्राम चिखली रैयत, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश लक्ष्मन (LAKSHAMAN) पुत्र अमरलाल, नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण–पत्र पर लक्ष्मन उइके (LAXMAN UIKEY) पुत्र अमरलाल उइके, नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम लक्ष्मन उइके (LAXMAN UIKEY) पुत्र अमरलाल उइके, के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(अमरलाल उइके)
पिता– सूरज उइके.

(G-798)

नाम परिवर्तन

मैं, रोशन पटेल पिता मनीराम, निवासी– मल्हनवाडा, तहसील बनखेडी, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम राहुल पटेल अंकित है जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र की अंकसूची एवं जन्म प्रमाण–पत्र में सही नाम योगेश दर्ज है, जो कि सही है, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को योगेश के नाम सें सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी दस्तावेजों में इन्हीं नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

आवेदक

(रोशन पटेल)
पिता– मनीराम.

(G-799)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद जाकिर सिद्दीकी पिता स्व. मोहम्मद आशिक सिद्दीकी, निवासी– विन्ध्यनगर रोड वैढ़न, पोस्ट व थाना वैढ़न, तहसील व जिला सिंगरौली (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम आलाफ शेख (ALAF SHEIKH) अंकित हो गया है, जो गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम ऐलाफ सिद्दीकी (ALAF SIDDIQUE) पुत्र मोहम्मद जाकिर सिद्दीकी है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को इसी सही नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मोहम्मद जाकिर सिद्दीकी)
पिता– स्व. मोहम्मद आशिक सिद्दीकी,

(G-800)

नाम परिवर्तन

मैं, लीना वर्मा पिता चिराग वर्मा जो कि पूर्व में जन्म प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड में प्रतीक वर्मा था. परन्तु अब उसका नाम परिवर्तन होकर चिराग वर्मा हो गया है. यह नाम स्कूल में दर्ज कर लिया है. यह नाम आधार एवं जन्म प्रमाण–पत्र में नाम परिवर्तन कराना है तथा भविष्य में भी उसे चिराग वर्मा के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम

(प्रतीक वर्मा)

नया नाम

(चिराग वर्मा)

निवासी– 93, आराधना नगर, एअरपोर्ट रोड,
जिला इंदौर (म.प्र.).

(G-801)

नाम परिवर्तन

मैं, साईन बी (SAEEN BEE) पिता मुबारिक हुसैन, निवासी– इंडस्ट्री एरिया के पास इन्द्रा कालोनी, मंदसौर (म.प्र.). मेरा वर्तमान नाम साईन बी (SAEEN BEE) है, जो कि मेरे शैक्षणिक, शासकीय दस्तावेजों आधार कार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में दर्ज है तथा भविष्य में मेरा नाम सभी अपने शासकीय रिकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में अपना नाम/ सरनेम परिवर्तित कर साईना बी मेव (SAEENA BEE MEW) करवाना चाहती हूं तथा भविष्य में मैं, साईना वी मेव (SAEENA BEE MEW) के नाम से जानी–पहचानी जाऊंगी.

प्रार्थिनी

(साईन बी)
(SAEEN BEE).

(G-802)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रमोद कुमार बैरवा पिता श्री रामबिलास बैरवा, निवासी– अम्बेडकर नगर, वार्ड नं. 11, श्योपुर, तह. व जिला श्योपुर (म.प्र.). मेरा नाम प्रमोद कुमार बैरवा पुत्र रामबिलास बैरवा है तथा माता जी का नाम पुरषार्थी बाई बैरवा है. मैंने केन्द्रीय विद्यालय श्योपुर से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की है. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा प्रदत्त कक्षा 10 की अंकसूची में सहवन/क्लेरिकल मिसटेक से मेरे नाम के आगे बैरवा शब्द लिखने से रह गया था. मेरी माता पुरषार्थी बाई बैरवा के नाम के आगे भी बैरवा शब्द लिखने से छूट गया था, जबकि पिताजी रामविलास बैरवा के नाम के आगे बैरवा शब्द लिखा हुआ है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे प्रमोद कुमार बैरवा के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

प्रार्थी

(प्रमोद कुमार बैरवा).

(G-803)

नाम परिवर्तन

मैं, पिंकी रामचंदानी (PINKY RAMCHANDANI) पुत्री श्री हरदासमल रामंचदानी (D/o. HARDASMAL RAMCHANDANI), निवास पता– 9/6, बी.के. सिंधी कॉलोनी, वार्ड नं. 65, इंदौर (म.प्र.). मेरा विवाह भरत ननकानी से होने के उपरान्त मैंने अपना विवाह पश्चात् सभी उद्देश्य के लिये अपना नाम बदलकर अमीषा नानकानी पत्नी भरत नानकानी (AMISHA NANKANI W/o. BHARAT NANKANI) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे नए नाम अमीषा नानकानी के नाम से जाना–पहचाना जावे.

प्रार्थिनी

(अमीषा नानकानी)
पत्नी– भरत नानकानी.

(G-804)

नाम परिवर्तन

मैं, वैभव कुंभारे पुत्र श्री चंद्रकांत कुंभारे, निवासी– ए–2/203, केनाल किंशिप, शिव आंगन सोसायटी, सलैया, तहसील हुजूर, पोस्ट बावड़ियाकलां, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे पासपोर्ट पर नाम वैभव चंद्रकांत कुंभारे (VAIBHAV CHANDRAKANT KUMBHARE) अंकित है, जबकि मेरे स्वयं के अन्य दस्तावेजों (आधार कार्ड एवं वोटर आई.डी. कार्ड में) वैभव कुंभारे (VAIBHAV KUMBHARE) अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे पासपोर्ट एवं समस्त दस्तावेजों पर वैभव कुंभारे (VAIBHAV KUMBHARE) लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(वैभाव चंद्रकांत कुंभारे)	(वैभव कुंभारे)
(VAIBHAV CHANDRAKANT KUMBHARE)	**(VAIBHAV KUMBHARE).**

(G-805)

नाम परिवर्तन

मैं, रविन्द्रसिह सेंधव पिता कैलाशसिह सेंधव, निवासी– ग्राम मुरम्या, पोस्ट पीपलरावा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र का पूर्व का नाम अभिराजसिह सेंधव था जिसे परिवर्तित नाम आदित्यसिह सेंधव रख दिया गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को आदित्यसिह सेंधव के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(रविन्द्रसिह सेंधव)

पिता– कैलाशसिह सेंधव.

(G-806)

उपनाम परिवर्तन

मेरी पुत्री संजना का उपनाम मालवीय त्रुटिवश आधार कार्ड में अंकित नहीं हो सका है एवं मेरी पुत्री का सही नाम संजना मालवीय पुत्री श्री महेश मालवीय है ,जो कि सत्य है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में सही नाम संजना मालवीय पुत्री श्री महेश मालवीय के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(श्री महेश मालवीय).

(G-807)

नाम परिवर्तन

मैं, मनीष श्रीवास्तव पिता स्व. श्री रामकृष्ण श्रीवास्तव, निवासी–वार्ड नं. 6 कोठी, तहसील कोठी, जिला सतना (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम जन्म प्रमाण–पत्र में विनिष श्रीवास्तव (Vinish Shrivastav) सही दर्ज है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सोही श्रीवास्तव (Sohi Shrivastav) दर्ज हो गया है, जबकि जन्म प्रमाण–पत्र, समग्र आई.डी. अंकसूची में विनिष श्रीवास्तव (Vinish Shrivastav) नाम दर्ज है, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों में सही नाम विनिष श्रीवास्तव (Vinish Shrivastav) के नाम से पढ़ा–लिखा माना जावे.

आवेदक

(मनीष श्रीवास्तव).

(G-808)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद इस्माईल खान पुत्र मोहम्मद याकूब खान (Mohammad Ismaeel Khan S/o. Mohammad Yaqoob Khan), निवासी– मकान क्रमांक–217, गली क्रमांक–4, काजी कैम्प, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय शैक्षणिक अभिलेखों में मेरा नाम भिन्न–भिन्न रूपों में दर्ज है, जो निम्नानुसार है– इस्माइल खान पुत्र याकूब खान, मोहम्मद इस्माइस पुत्र मोहम्मद याकूब, मो. इस्माइल खान पुत्र मो. याकूब खान, Mohd Ismail S/o. Mohd Yakub Khan. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में सभी पुराने नामों के स्थान पर मेरा सही नाम "मोहम्मद इस्माईल खान पुत्र मोहम्मद याकूबा खान" के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(इस्माइल खान, मोहम्मद इस्माइल, मो. इस्माइल खान, मो. इस्माइल Mohd Ismail)	(मोहम्मद इस्माईल खान) **(Mohammad Ismaeel Khan)** पुत्र– मोहम्मद याकूब खान S/o. Mohammad Yaqoob Khan.

(G-809)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद यूसुफ खान पुत्र मोहम्मद याकूब खान (Mohammad Yusuf Khan S/o. Mohammad Yaqoob Khan) निवासी– मकान क्रमांक–217, गली क्रमांक–4, काजी कैम्प, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय, शैक्षणिक अभिलेखों एवं अन्य प्रमाण–पत्रों में मेरा नाम भिन्न–भिन्न रूपों में दर्ज है, जो निम्नानुसार है– यूसुफ खां पुत्र मो. याकूब, मो. युसूफ पुत्र मो. याकूब, मो. युसूफ खां पुत्र मो. याकूब खां, मो. यूसुफ खान पुत्र मो. याकूब खान, मो. युसूफ खान, मोहम्मद युसुफ खान पुत्र मोहम्मद याकूब खान, Mohd Yusuf Khan S/o. Mohd Yaqoob Khan. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में सभी पुराने नामों के स्थान पर मेरा सही नाम "मोहम्मद यूसुफ खान पुत्र मोहम्मद याकूब खान" के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(यूसुफ खां, मो. युसूफ, मो. युसुफ खां, मो.यूसूफ खान, मो. युसूफ खान, मोहम्मद युसुफ खान Mohd Yusuf Khan)	(मोहम्मद यूसुफ खान) **(Mohammad Yusuf Khan)** पुत्र– मोहम्मद याकूब खान S/o. Mohammad Yaqoob Khan.

(G-810)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद यूनुस खान पुत्र मोहम्मद याकूब खान (Mohammad Yunus Khan S/o. Mohammad Yaqoob Khan), निवासी– मकान क्रमांक–217, गली क्रमांक–4, काजी कैम्प, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय, शैक्षणिक अभिलेखों एवं अन्य प्रमाण–पत्रों में मेरा नाम भिन्न–भिन्न रूपों में दर्ज है, जो निम्नानुसार है– यूनुस पुत्र मो. याकूब, यूनूस पुत्र याकूब, मो. युनुस पुत्र मो. याकूब, मो. यूनुस खान पुत्र मो. याकूब खान, मोहम्मद युनुस खान पुत्र मोहम्मद याकूब खान Mohd Yunus Khan S/o. Mohd Yaqoob Khan. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में सभी पुराने नामों के स्थान पर मेरा सही नाम "मोहम्मद यूनुस खान पुत्र मोहम्मद याकूब खान" के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(यूनुस, यूनूस, मो.युनुस, मो.यूनुस खान मोहम्मद युनुस खान, Mohd Yunus Khan)	(मोहम्मद यूनुस खान) **(Mohammad Yunus Khan)** पुत्र– मोहम्मद याकूब खान S/o. Mohammad Yaqoob Khan.

(G-811)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रदीप मेवाड़ा पिता श्री दुर्गा प्रसाद मेवाड़ा, निवासी– एन बी 04 बी, स्टेशन रोड, रेलवे कॉलोनी, सीहोर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश "हश मेवाड़ा (Hash Mewada)" दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम "यश मेवाड़ा (Yash Mewada)" है, जो कि सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम "यश मेवाड़ा (Yash Mewada)" ही है और भविष्य में उसी नाम से लिखा–पढ़ा, जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(प्रदीप मेवाड़ा)

पिता– श्री दुर्गा प्रसाद मेवाड़ा.

(G-812)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम गलती से दिव्या लोधा पिता मांगीलाल लोधा कुछ दस्तावेजों में लिख गया है, जबकि उसका सही नाम प्रतिक्षा लोधा पुत्री श्री मांगीलाल लोधा है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को इसी नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(मांगीलाल लोधा)

निवासी– बांसाहेडाखुर्द, गुना (म.प्र.).

(G-813)

नाम परिवर्तन

मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम मिथलेश पत्नी श्री मुन्नालाल, निवासी– ओफो की बगीया, नाका चन्द्रवदनी, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.). मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम छुटटोबाई हो गया व पेंशन फार्म में मेरा सही नाम मिथलेश है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे भविष्य में मिथलेश पत्नी मुन्नालाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(छुटटो बाई)

नया नाम

(मिथलेश)

पत्नी– श्री मुन्नालाल.

(G-814)

नाम परिवर्तन

मेरी शादी के पूर्व मेरा नाम अंकिता अग्रवाल पुत्री श्री चंद्रशेखर अग्रवाल था. मेरी शादी के बाद मेरा नाम प्रियांशी जैन पत्नी श्री पंकज जैन हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे प्रियांशी जैन के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अंकिता अग्रवाल)

नया नाम

(प्रियांशी जैन)

पत्नी– श्री पंकज जैन

निवासी– मेवा वाली गली, दाना ओली,

लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-815)

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 63(1) के अधीन)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रामाज्ञा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस जिसका पंजीयन क्र. 01–01–01–0200–19 सन् 2019–2020 दिनांक 04 सितम्बर 2019 को किया गया था, यह भागीदारी फर्म 18 मार्च 2021 को एक बार संशोधित की गई है, जिसको फर्म एंड सस्थाएं विभाग में विधिवत दर्ज किया जा चुका है, अब पुनः 31 दिसम्बर 2025 को भागीदारी फर्म में संशोधन किया जा रहा है. भागीदारी फर्म रामाज्ञा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस से श्री दातार सिंह चौहान पिता श्री मनोहर सिंह चौहान, दिनांक 31 दिसम्बर 2025 से पृथक हो रहे हैं और अब फर्म में नये भागीदार श्री ओम तिवारी पिता श्री श्याम मोहन तिवारी दिनांक 31 दिसम्बर 2025 से भागीदारी फर्म रामाज्ञा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस में शामिल हो रहे हैं. अब फर्म में तीन भागीदार श्रीमती अभिलाषा तिवारी, श्री कमलापति शर्मा और श्री ओम तिवारी भागीदारी फर्म रामाज्ञा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस में बने रहेंगे, चालू रहेंगे.

रामाज्ञा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस

अभिलाषा तिवारी

(पार्टनर).

(G-816)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम आधार कार्ड में नाम अभिष्षा कंवर पिता घनश्याम तांती था. जिसे परिवर्तित कर अब "अभिष्षा कुंवर तांती" रख लिया गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे नये परिवर्तित नाम अभिष्षा कुंवर तांती D/o. घनश्याम तांती के नाम से ही जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(अभिष्षा कंवर)

नया नाम

(अभिष्षा कुंवर तांती).

(G-817)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम गुडिया चौहान पिता श्री मनोज चौहान (GUDIYA CHOUHAN D/o. MANOJ CHOUHAN), निवासी– 264, बडी ग्राम गुगलवाडा रायसेन (म.प्र.) मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम राधिका पिता मनोज सिंह (RADHIKA D/o. MANOJ SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों व जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम गुडिया चौहान पिता श्री मनोज चौहान (GUDIYA CHOUHAN D/o. MANOJ CHOUHAN) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मनोज चौहान).

(G-818)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "मेसर्स जय भरत फिलिंग स्टेशन" पंजीयन क्रमांक 05–26–01–0037–21 पंजीयन दिनांक 22 जुलाई 2021, पता– कृपालपुर, सतना मैहर बायपास रोड, सतना तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.). यह कि इस भागीदारी में पंजीयन के समय में (1) Smt. Avani Haswani, (2) Brijendra Singh पार्टनर थे जिसमें दिनांक 23 दिसम्बर 2025 से Brijendra Singh अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गए है. अतः Brijendra Singh का दिनांक 23 दिसम्बर 2025 से भागीदारी फर्म M/S JAI BHARAT FILLING STATION से किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी शेष नही है. फर्म में दिनांक 23 दिसम्बर 2025 से नवीन पार्टनर Achal Haswani को सम्मिलित किया गया है. संशोधन के पश्चात वर्तमान फर्म में दिनांक 23 दिसम्बर 2025 से भागीदार 1. Smt. Avani Haswani, 2. Achal Haswani की भागीदारी रहेगी.

"मेसर्स जय भरत फिलिंग स्टेशन"

1. **Avani Haswani**
2. **Achal Haswani**

(पार्टनर).

(G-819)

आम सूचना

फर्म मेसर्स/राज बिल्डर्स, सागर, पता ASHOK VIHAR COLONY, OPP, MEDICAL COLLEGE TILI ROAD SAGAR म.प्र. 470002 पंजियत फर्म है जिसका पंजीयन असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं सागर द्वारा पंजीयन क्रमांक 06–09–01–00109–10 दिनांक 11 नवम्बर 2010 को किया गया था जिसमे संशोधित डीड दिनांक 01–10–2011 के अनुसार फर्म में 1. Shri Sushil Tiwari, 2. Shri Prakash Chand Jain, 3. Shri Hukumchand Sahu, 4. Rachna Jain 5. Shri Rahul Sahu के साथ 6. Smt. Krishna Tiwari भी भागीदार थी, दिनांक 15 जून 2013 को फर्म की भागीदार Smt-. Krishna Tiwari का देहान्त हो गया जिससे वह स्वतः ही फर्म से प्रथक हो गईं एवं संशोधित भागीदारी पत्रक दिनांक 30 जुलाई 2013 के अनुसार Shri Suryansh Tiwari फर्म में सम्मिलित हो गए तत्पश्चात दिनांक 14 जून 2020 की फर्म भागीदार Shri. Hukumchand Sahu का स्वर्गवास हो गया व संशोधित भागीदारी डीड 19 जून 2020 के अनुसार फर्म में 5 भागीदार 1. Shri Sushil Tiwari, 2. Shri Prakash Chand Jain, 3. Shri Suryansh Tiwari, 4. Rachna Jain, 5. Shri Rahul Sahu थे तत्पश्चात् दिनांक 01 मई 2024 को भागीदार Shri Rahul Sahu फर्म से स्वतः ही प्रथक हो गए व 1. Shri Sushil Tiwari, 2. Shri Prakash Chand Jain, 3. Shri Suryansh Tiwari, 4. Rachna Jain द्वारा फर्म संचालित होती रही एवं दिनांक 18 दिसम्बर 2025 की फर्म से 1. Shri Sushil Tiwari, 2. Shri Prakash Chand Jain, 3. Shri Suryansh Tiwari, 4. Rachna Jain स्वेच्छा से फर्म से रिटायर हो गए हैं व दिनांक 18 दिसम्बर 2025 से 1. Shri Naveen Nischal Balaiya, 2. Shri Ashok Kumar Soni, 3. Shri Vipul Kumar Gautam, 4. Shri Kunal Sharma, 5. Shri Anil Kumar Tiwari, 6. Shri Prafull Tiwari, 7. Shri Puneet Sharma, 8. Shri Sanjeev Jadiva, 9. Sangeeta Pandey, 10. Shri Ashish Shastri, 11. Shri Utkarsh Jyotishi, 12. Shri Rajesh Kumar Dubey, 13. Shri Ayush Jain फर्म में कुल 13 भागीदार सम्मिलित हो गए हैं व फर्म का पता ASHOK VIHAR COLONY, OPP, MEDICAL COLLEGE TILI ROAD SAGAR म.प्र. 470002 था जिसको दिनांक 01 मई 2024 को परिवर्तित कर फर्म का नवीन कार्यालय H.NO.21 MAIN ROAD GOPALGANJ SAGAR M.P. 470002 कर दिया गया है..

मेसर्स/राज बिल्डर्स, सागर

Naveen Nischal Balaiya

(भागीदार).

(G-820)

आम सूचना

फर्म SURYA DEVELOPERS पता– 04, Stuti Garden ke aage, Madhukar Shah ward, सागर (म.प्र.) 470002. पंजियत फर्म जिसका पंजीयन असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं सागर द्वारा पंजीयन क्रमांक 06–09–01–0097–24, दिनांक 29 दिसम्बर 2024 को किया गया था जिसमें निम्न पार्टनर थे. 1. Shri Kunal Sharma, 2. Smt. Madhuri Sharma संशोधित भागीदारी पत्रक 03 जनवरी 2026 अनुसार फर्म में Shri Chandra Prakash Sharma नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. अतः दिनांक 03 जनवरी 2026 से फर्म SURYA DEVELOPERS में तीन भागीदार रहेंगे 1. Shri Kunal Sharma, 2. Smt. Madhuri Sharma, 3. Shri Chandra Prakash Sharma.

SURYA DEVELOPERS

Kunal Sharma.

(भागीदार).

(G-821)

आम सूचना

फर्म मेसर्स चिकारा ग्रुप सागर, 355 नरयावली नाका वार्ड सागर, (म.प्र.) 470002 में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 06–09–01–00157–13, दिनांक 11 फरवरी 2013 को पंजीकृत है, फर्म संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 20 अप्रैल 2022 के अनुसार निम्नांकित भागीदार थे. 1. श्री चंद्रशेखर यादव, 2. श्री संजय चंदेल, 3. श्री जगदीश चंदेल. जिसके उपरान्त दिनांक 03 जनवरी 2026 उक्त फर्म के तीनों भागीदारों की आपसी सहमति से उक्त फर्म को विघटित (भंग) कर दिया गया है एवं उक्त फर्म के सम्बन्ध में यह सूचना सर्वसाधारण एवं फर्म के भागीदारों एवं फर्म से जुड़े व्यक्तियों को सूचनार्थ प्रकाशित है.

मेसर्स चिकारा ग्रुप सागर

चंद्रशेखर यादव

(भागीदार).

(G-822)

आम सूचना

फर्म M/S MAA SHITLA ASSOCIATES, जिसका पता– 75, Infront of Medical College, Ashok Vihar Colony, सागर 470002. जिसका पंजीयन क्रमांक 06–09–01–0051–24 दिनांक 30 जुलाई 2024 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है जिसमे भागीदारी विलेख दिनांक 11 अप्रैल 2022 के अनुसार 4 भागीदार 1. Shri Rahul Tiwari, 2. Shri Naresh Kumar Sen, 3. Shri Rajesh Kawat, 4. Shri Chandrahas Pateriya थे तत्पश्चात दिनांक 18 अप्रैल 2024 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 8 भागीदार 1. Shri. Suryansh Tiwari, 2. Smt. Preeti Tiwari, 3. Shri Rajesh Kumar Dubey, 4. Shri Kunal Sharma, 5. Shri Manoj Kumar Jain, 6. Shri Ashok Kumar Soni, 7. Shri Navin Nischal Balaiya, 8. Shri Sanjeev Jadiya फर्म में सम्मिलित हो गए तथा 1. Shri Rajesh Kawat, 2. Shri Chandrahas Pateriya फर्म M/S MAA SHITLA ASSOCIATES से प्रथक हुए. अतः वर्तमान में फर्म में कुल दस भागीदार हैं 1. Shri Rahul Tiwari, 2. Shri Naresh Kumar Sen, 3. Shri Suryansh Tiwari, 4. Smt. Preeti Tiwari, 5. Shri Rajesh Kumar Dubey, 6. Shri Kunal Sharma, 7. Shri Manoj Kumar Jain, 8. Shri Ashok Kumer Soni, 9. Shri Navin Nischal Balaiya, 10. Shri Sanjeev Jadiya

M/S MAA SHITLA ASSOCIATES

Rahul Tiwari
(भागीदार).

(G-823)

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म M/S TREASURE INDIA पता– Office No. 08 first Floor Shivam Complex Bagsevania BHOPAL (M.P.) जिसका गुमासता पंजीयन क्र. BHOP230703SE000215 से भागीदार श्री मुकेश माथुर पिता स्व. श्री आर.के. माथुर व श्री अजय माथुर पिता स्व. श्री आर. के. माथुर भागीदार दिनांक 30 सितम्बर 2025 को फर्म से सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा श्री शुभम गोस्वामी पिता श्री लखन गोस्वामी दिनांक 30 सितम्बर 2025 को फर्म की भागीदारी में नये भागीदार के रूप में शामिल किये गये एवं अब श्री पंकज माथुर पिता श्री आर के माथुर व शुभम गोस्वामी पिता श्री लखन गोस्वामी द्वारा भागीदारी फर्म कर संचालन किया जायेगा. आमजन एवं सर्वजन को सूचित हों.

M/S TREASURE INDIA

पंकज माथुर
(भागीदार).

(G-824)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 58(1) के अंतर्गत M/S LOHIYA BUILDCON पंजीयन क्रमांक 01–01–01–0203–24 सन् 2024–2025 दिनांक 30 सितम्बर 2024 भोपाल सम्भाग से पंजीकृत फर्म है. यह कि, संशोधित भागीदारी फर्म दिनांक 1 दिसम्बर 2025 को रामकुमार गुप्ता पिता स्व. श्री कुवंरलाल गुप्ता निवासी एक्स. 05, सुरभी मोहिनी होम्स, नियर विद्या सागर कॉलेज, अवधपुरी, खजूरीकलां, भोपाल को आपसी सहमति से इस भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया है तथा लोकेश श्रीवास्तव पिता श्री महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव निवासी– सी–21. बरफानी धाम, बागसेवनिया, भोपाल अपनी स्वेच्छा से दिनांक 01 दिसम्बर 2025 को इस भागीदारी फर्म से बाहर हो गये है. आमजन सर्वजन को सूचित हो.

मेसर्स लोहिया बिल्डकॉन
मयंक कुमार गुप्ता
(भागीदार).
पता– फ्लैट नं. 10/11, ग्राउण्ड फ्लोर, चित्तौड़,
काम्पलेक्स, जोन–1, एम.पी.नगर, भोपाल (म.प्र.)

(G-825)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम ममता यादव पुत्री स्व. श्री प्रेमनारायण यादव है जो कि मेरी हायर सेकेन्डरी की अंकसूची में दर्ज है. मेरे आधार कार्ड में मेरे विवाह उपरांत कविता खरे नाम अंकित हो गया था जो कि मेरा सही नाम नहीं है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त दस्तावेजों में ममता यादव के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(ममता यादव)

पता– जवाहर कालोनी, बरेली,

तहसील बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-826)

नाम परिवर्तन

मैं, अंजो देवी यादव पुत्री तेजसिंह यादव, निवासी– ग्राम खैरा, थाना व तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अंजली यादव (Anjli Yadav) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम अंजो देवी यादव (Anjo Devi Yadav) है जो कि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम अंजो देवी यादव (Anjo Devi Yadav) पुत्री तेजसिंह यादव के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अंजली यादव)	**(अंजो देवी यादव)**
(Anjli Yadav)	**(Anjo Devi Yadav)**
	पुत्री– तेजसिंह यादव.

(G-827)

नाम परिवर्तन

मैं, अमरेश कुमार उपाध्याय आत्मज श्री अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, निवासी– म.नं. एल.आई.जी. 2/3712, हाउसिंग बोर्ड, बाग मुगलिया, एक्सटेंशन लाहरपुर, बाग मुगलिया, भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम मूल सेवा–पुस्तिका में त्रुटिवश अमरेश कुमार पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद उपाध्याय दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा वास्तविक सही नाम अमरेश कुमार उपाध्याय आत्मज श्री अयोध्या प्रसाद उपाध्याय है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में यही नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अमरेश कुमार)	**(अमरेश कुमार उपाध्याय)**
(AMRESH KUMAR)	**(AMRESH KUMAR UPADHYAY)**
	पुत्र– अयोध्या प्रसाद उपाध्याय.

(G-828)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम विनीता अहिरवाल पिता विनोद अहिरवाल (VINEETA AHIRWAL D/o. VINOD AHIRWAL) है, परन्तु उसके आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश संजना अहिरवाल पिता विनोद अहिरवाल (SANJANA AHIRWAL D/o. VINOD AHIRWAL) हो गया है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका नाम विनीता अहिरवाल पिता विनोद अहिरवाल (VINEETA AHIRWAL D/o. VINOD AHIRWAL) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को विनीता अहिरवाल पिता विनोद अहिरवाल (VINEETA AHIRWAL D/o. VINOD AHIRWAL) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं सभी शासकीय/अशासकीय, शैक्षणिक/अशैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(विनोद अहिरवाल)

(VINOD AHIRWAL)

पता– सूखी पिपरिया, उमरी तहसील,

दमोह, जिला दमोह (म.प्र.).

(G-829)

नाम परिवर्तन

मैं, कम्मोबाई पत्नी स्व. श्री वीर भान, पता–ग्राम धमानिया, पोस्ट फंदा, धमानिया, फंदा, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कामिया (KAMIYA) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरे राजस्व भू–अभिलेखों में मेरा नाम कम्मोबाई (KAMMOBAI) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम कम्मोबाई (KAMMOBAI) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कामिया)	(कम्मोबाई)
(KAMIYA)	**(KAMMOBAI)**

(G-830)

नाम परिवर्तन

मैं, अरमान खाँ मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सोहेल (SOHEL) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में मिसबा (MISBA) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम मिसबा (MISBA) के नाम से सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अरमान खाँ)

पता– वार्ड नं. 6, सिलवाहा बांसखेडा, रायसेन (म.प्र.).

(G-831)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S ABIRAM CONSTRUCTION COMPANY जो 30, MIG SADA COLONY, RAGHOGARH, GUNA (M.P.) में स्थित है. जिसका पंजीयन क्र. FIRM/GWO/32 एवं दिनांक 16 अगस्त 2001 है जिसमें दिनांक 01 अप्रैल 2025 को भागीदार श्री राम प्रकाश सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह, निवासी– 30, एमआईजी, साडा कॉलोनी, राघोगढ, गुना, अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये एवं इसी दिनांक 01 अप्रैल 2025 को श्री अमित सिंह पुत्र श्री राम प्रकाश सिंह, निवासी– 30 एमआईजी, साडा कॉलोनी, राघोगढ, गुना, फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं.

M/S ABIRAM CONSTRUCTION COMPANY

महावीर सिंह

(भागीदार)

(G-832)

नाम परिवर्तन

मैं, रंजीत महोरिया (RANJEET MAHORIYA) पुत्र श्री घनश्याम. मेरे पुत्र का नाम श्रेयांश महोरिया (SHREYANSH MAHORIYA) है जबकि उसके आधार कार्ड में उसका नाम गलती से राजा (RAJA) लिखा गया है जो कि गलत है वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र को श्रेयांश महोरिया पुत्र श्री रंजीत महोरिया के नाम से जाना–पहचाना जाता हूं. जो शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, श्रेयांश महोरिया एवं राजा दोनों मेरे ही पुत्र के नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम राजा के स्थान पर श्रेयांश महोरिया लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रंजीत महोरिया)

पुत्र– श्री घनश्याम

पता– 5, पटवारी गली, कबीर रोड के पास,
कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-833)

नाम परिवर्तन

मैं, रोनक तोमर (RONAK TOMAR) पुत्री श्री रंजीत तोमर, मेरा पूर्व का नाम दया तोमर (DAYA TOMAR) था, जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, रोनक तोमर पुत्री श्री रंजीत तोमर के नाम से जानी पहचानी जाती हूं . जो मेरे शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है रोनक तोमर एवं दया तोमर दोनों मेरे ही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम दया तोमर के स्थान पर रोनक तोमर लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(दया तोमर)

नया नाम
(रोनक तोमर)
पुत्री– श्री रंजीत तोमर
पता– ग्राम दिमनी, मुरैना (म.प्र.).

(G-834)

नाम परिवर्तन

मैं, छगन सिंह मीणा मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश/गलती से मेरे पुत्र का नाम हरि ओम (HARI OM) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में प्रियांश मीणा (PRIYANSH MEENA) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम प्रियांश मीणा (PRIYANSH MEENA) के नाम से सभी शासकीय /अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(छगन सिंह मीणा)
पता– अमरपुरा, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-835)

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S SAI REALTORS पता HANUMAN NAGAR, FHALKA BAZAR, LASHKAR, GWALIOR (M.P.) में स्थित है. जिसका पंजीयन क्र. 02–42–01–0197–25 दिनांक 04 सितम्बर 2025 है, जिसमें दिनांक 12 जनवरी 2026 को भागीदार दीपक कुमार सिंघल वर्तमान नाम दीपक सिंघल पुत्र श्री मेघराज सिंघल, निवासी– सी–907, केशरबाघ, रेस क्रोस रोड नियर रेलवे स्टेशन ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये है.

M/S SAI REALTORS
संजय अरोरा
(भागीदार).

(G-836)

नाम परिवर्तन

मैं, गजराज धाकड़ (GAJRAJ DHAKAR) पुत्र श्री जसवंत धाकड. मेरा पूर्व का नाम सुरेश सिंह धाकड (SURESH SINGH DHAKAD) था, जो आधार कार्ड में लिखा गया है, जो कि गलत है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, गजराज धाकड पुत्र श्री जसवंत धाकड के नाम से जाना–पहचाना जाता हूं. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. गजराज धाकड एवं सुरेश सिंह धाकड दोनों मेरे ही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सुरेश सिंह धाकड के स्थान पर गजराज धाकड लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सुरेश सिंह धाकड)

नया नाम
(गजराज धाकड)
पुत्र– श्री जसवंत धाकड
पता– ग्राम हटीपुरा, पोस्ट पचेखा,
तहसील कैलारस, मुरैना (म.प्र.).

(G-837)

नाम परिवर्तन

मैं, रूकवेन्द्र सिंह (RUKVENDRA SINGH) पुत्र श्री जवान सिंह, मेरा पूर्व का नाम लवकुश सिंह (LOVEKUSH SINGH) था, जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिख गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, रूकवेन्द्र सिंह पुत्र श्री जवान सिंह के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ, जो मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. रूकवेन्द्र सिंह एवं लवकुश सिंह दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों मे मेरा नाम लवकुश सिंह के स्थान पर रूकवेन्द्र सिंह लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(लवकुश सिंह)

नया नाम

(रूकवेन्द्र सिंह)
पुत्र– श्री जवान सिंह
पता– ग्राम सुनारपुरा माफ़ी, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-838)

नाम परिवर्तन

मैं, रानी गुप्ता (RANI GUPTA) पत्नी श्री विनोद गुप्ता, मेरा पूर्व का नाम प्रतीभा गुप्ता (PRATIBHA GUPTA) था, जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि में लिखा गया है जो कि गलत है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, रानी गुप्ता पत्नी श्री विनोद गुप्ता के नाम से जानी–पहचानी जाती हूं, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. रानी गुप्ता एवं प्रंतीभा गुप्ता दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि में मेरा नाम प्रतीभा गुप्ता के स्थान पर रानी गुप्ता लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(प्रतीभा गुप्ता)

नया नाम

(रानी गुप्ता)
पत्नी– श्री विनोद गुप्ता
पता– आदर्श मान्टेसरी स्कूल के सामने,
दीदार कॉलोनी चौराहा, डबरा, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-839)

उपनाम परिवर्तन

मैं, विजय कुमार गुप्ता (VIJAY KUMAR GUPTA) पुत्र श्री चेऊराम गुप्ता, मेरा पूर्व का नाम विजय कुमार मंगल (VIJAY KUMAR MANGAL) था, जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिख गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, विजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री चेऊराम गुप्ता के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ, जो मेरे जन्म प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड एवं शासकीय/ अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में लिखा गया है. विजय कुमार गुप्ता एवं विजय कुमार मंगल दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम विजय कुमार मंगल के स्थान पर विजय कुमार गुप्ता लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(विजय कुमार मंगल)

नया नाम

(विजय कुमार गुप्ता)
पुत्र– श्री चेऊराम गुप्ता
पता– जवाहर मार्ग, कैलारस मुरैना (म.प्र.).

(G-840)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रमोद कुमार पुत्र श्री रामचंद, मेरे पुत्र का नाम दुर्लव प्रसाद (DURLAV PRASAD) है, परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में गलती से नाम देव कुमार (DEV KUMAR) लिख गया है जो कि गलत है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र को दुर्लव प्रसाद पुत्र श्री प्रमोद कुमार के नाम से जाना–पहचाना जाता है. जो मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण– पत्र एवं अन्य प्रपत्रों मे लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम देव कुमार के स्थान पर दुर्लव प्रसाद लिखा एवं पढ़ा जावे.

आवेदक
(प्रमोद कुमार)
पुत्र– श्री रामचंद
पता– विधा विहार स्कूल के पास,
नरसिंह नगर, हजीरा, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-841)

नाम परिवर्तन

मैं, हरिओम सैन (HARIOM SAIN) पुत्र श्री कोमल प्रसाद सैन, मेरे शैक्षणिक प्रमाण–पत्र में मेरा नाम गलती से इंग्लिश स्पेलिंग में हरिओम सैन (HARIOM SEN) SEN लिख गया है जो कि गलत है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, हरिओम सैन (HARIOM SAIN) SAIN के नाम से जाना–पहचाना जाता है. जो शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के इंग्लिश स्पेलिंग में मेरा नाम हरिओम सैन (HARIOM SEN) SEN के स्थान पर हरिओम सैन (HARIOM SAIN) SAIN लिखा एवं पढ़ा जावे.

प्रार्थी
(हरिओम सैन)
पुत्र– श्री कोमल प्रसाद सैन
पता– डाक बंगला रोड, कलार बाग बैंक कॉलोनी,
शिवपुरी (म.प्र.).

(G-842)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्रीनाथ इंटरप्राइजेज, मुरैना पता– जो 02, यूको बैंक के पास, एम. एस. रोड, मुरैना, में स्थित है. जिसका पंजीयन 02–44–01–0243–25 एवं दिनांक 15 अक्टूबर 2025 है, जिसमें दिनांक 20 जुलाई 2020 को श्री राहुल गर्ग पुत्र श्री दिनेश चन्द गर्ग, निवासी यूको बैंक के पास, एम.एस. रोड, मुरैना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. दिनांक 21 मई 2025 को भागीदार (1) श्री दिनेशचन्द गर्ग पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद गर्ग, निवासी– यूको बैंक के पास. एम.एस. रोड, मुरैना, (2) श्री रामकुमार गर्ग पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद गर्ग, निवासी– पंचम सिंह वाली गली, गणेशपुरा मुरैना, (3) अभिषेक गर्ग पुत्र श्री दिनेश चन्द गर्ग निवासी– यूको बैंक के पास, एम.एस. रोड मुरैना अपनी स्वेच्छा से फर्म से प्रथक् हो गये एवं इसी दिनांक 21 मई 2025 को श्रीमती प्रीति गर्ग पत्नी राहुल गर्ग, निवासी– 101, शान्ति विहार कॉलोनी, इलाहाबाद बैंक के पास, एम.एस. रोड, मुरैना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं.

मेसर्स श्रीनाथ इंटरप्राइजेज मुरैना
राहुल गर्ग
(भागीदार)
पता– 02, यूको बैंक के पास,
एम.एस. रोड, मुरैना (म.प्र.).

(G-843)

नाम परिवर्तन

मैं, रमई दास बैरागी पिता गणेश दास बैरागी, निवासी– विदिशा रोड, ग्राम बालमपुर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश रंगईदास पिता गणेश दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम रमई दास बैरागी (RAMAI DAS BERAGHI) पिता गणेश दास बैरागी (GANESH DAS BERAGHI) है, जो कि मेरे भारत सरकार नेशनल पेन्शन सिस्टम कार्ड में दर्ज है. रमई दास बैरागी (RAMAI DAS BERAGHI) पिता गणेश दास बैरागी (GANESH DAS BERAGHI) व रंगईदास पिता गणेश दोनों नाम एक ही व्यक्ति के मेरे स्वयं के ही हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे रमई दास बैरागी (RAMAI DAS BERAGHI) पिता गणेश दास बैरागी (GANESH DAS BERAGHI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रंगईदास)	**(रमई दास बैरागी)**
पिता– गणेश	**(RAMAI DAS BERAGHI)**
	पिता– गणेश दास बैरागी,
	GANESH DAS BERAGHI.

(G-844)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पहारी पिता मानक (pahari S/o. manak), निवासी– वार्ड क्रमांक 10, भीमराव अम्बेडकर, वार्ड हिंडोरिया, दमोह (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम परम लाल अहिरवाल पिता नन्ना अहिरवाल (param lal ahirwal S/o. nanna ahirwal) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरा सही नाम बही और स्थानीय निवासी प्रमाण– पत्र में भी दर्ज है. दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम पहारी पिता मानक (pahari S/o. manak) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(परम लाल अहिरवाल)	**(पहारी)**
(param lal ahirwal)	**(pahari)**
पिता– नन्ना अहिरवाल	पिता– मानक
S/o. nanna ahirwal	S/o. manak.

(G-845)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अमन खान पुत्र मोहम्मद अनीस (aman khan S/o. mohammed anees), निवासी– 15 ए, चौकसे नगर, रंभा नगर, हुजूर भोपाल (म.प्र.). मेरी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में त्रुटिवश नाम अमन खान पुत्र अनीस खान (aman khan S/o. anees khan) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम आधार कार्ड, मूल निवासी में भी दर्ज है. यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम अमन खान पुत्र मोहम्मद अनीस (aman khan S/o. mohammed anees) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अमन खान)	**(अमन खान)**
(aman khan)	**(aman khan)**
पुत्र– अनीस खान	पुत्र– मोहम्मद अनीस
S/o. anees khan	S/o. mohammed anees.

(G-846)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम दीपक सिंह राजावत पुत्र विकास सिंह (DEEPAK SINGH RAJAWAT S/o. VIKAS SINGH), निवासी– ग्राम ओझा, पोस्ट जखमोली, उप जिला लहार, जिला भिण्ड (म.प्र.). परंतु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम विकाश सिंह पुत्र दीपक सिंह (VIKASH SINGH S/o. DEEPAK SINGH) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम दीपक सिंह राजावत पुत्र विकास सिंह (DEEPAK SINGH RAJAWAT S/o. VIKAS SINGH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(विकास सिंह).

(G-847)

नाम परिवर्तन

मैं, विनोद बारिया आत्मज श्री हकरू बारिया, पता– ग्राम मेंहदीखेड़ा, झाबुआ (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम रानिका पुत्री विनोद (RANIKA D/o. VINOD) लिखा गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम रानु बारिया पुत्री विनोद बारिया (RANU BARIYA D/o. VINOD BARIYA) है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरी पुत्री को रानु बारिया पुत्री विनोद बारिया (RANU BARIYA D/o. VINOD BARIYA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(विनोद बारिया)

आत्मज– श्री हकरू बारिया.

(G-848)

नाम परिवर्तन

मैं, सलोनी पुत्री श्री पन्नालाल, निवासी– ग्राम इंदरपुरा रेहतिया, तहसील राजपुर, जिला बडवानी (म.प्र.). मेरा नाम सलोनी (SALONI) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सोनू (SONU) अंकित हो गया है, अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम सलोनी (SALONI) के नाम से जाना–पहचाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सोनू)	**(सलोनी)**
(SONU)	**(SALONI)**

(G-849)

नाम परिवर्तन

मैं, विजय काग पिता रामलाल काग, निवासी– योगमाया मंदिर, वार्ड नं. 10, सेगांव, बड़वानी, जिला बड़वानी (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश ''कंशीका काग'' अंकित हो गया है, जबकि उसका सही नाम ''कनिष्का काग'' है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरी पुत्री को ''कंशीका काग'' के स्थान पर नया नाम ''कनिष्का काग'' के नाम से ही जानी एवं पहचानी जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कंशीका काग)	**(कनिष्का काग)**
(Kanshika Kag)	**(Kanishka Kag)**

(G-850)

पुत्री– विजय काग.

नाम परिवर्तन

मैं, हासिया खान पिता इकबाल खान, निवासी– 169, देवीसिंह मार्ग, भामी मोहल्ला बड़वानी, जिला बड़वानी (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश ''जश्ली सस्ते'' अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही नाम ''हासिया खान'' है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मुझे ''जश्ली सस्ते'' के स्थान पर नया नाम ''हासिया खान'' के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम	नया नाम
(जश्ली सस्ते)	**(हासिया खान)**
(Jasli Saste)	**(Hasiya Khan).**

(G-851)

नाम परिवर्तन

मैं, वीरेन्द्र शर्मा पिता प्रेमनारायण शर्मा, निवासी– वार्ड नं. 14 जय प्रकाश नारायण, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम हरिशंकर शर्मा पिता प्रेमनारायण सर्मा दर्ज है जो कि गलत है. मेरा सही नाम वीरेन्द्र शर्मा (VIRENDRA SHARMA) पिता प्रेमनारायण शर्मा (PREMNARAYAN SHARMA) जो कि मेरी 10वीं की अंकसूची, राशन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे वीरेन्द्र शर्मा (VIRENDRA SHARMA) पिता प्रेमनारायण शर्मा (PREMNARAYAN SHARMA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हरिशंकर शर्मा)	**(वीरेन्द्र शर्मा)**
पिता– प्रेमनारायण सर्मा	**(VIRENDRA SHARMA)**
	पिता– प्रेमनारायण शर्मा
	(PREMNARAYAN SHARMA).

(G-852)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनील शर्मा पिता प्रेम नारायण शर्मा, निवासी– वार्ड न. 14, शांतिकुंज कालोनी, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम उमाशंकर शर्मा दर्ज है जो कि गलत है, मेरा सही नाम सुनील शर्मा (SUNIL SHARMA) पिता प्रेम नारायण शर्मा (PREM NARAYAN SHARMA) जो कि मेरे समग्र आई.डी, पुराने आधार कार्ड व राशन कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सुनील शर्मा (SUNIL SHARMA) पिता प्रेम नारायण शर्मा (PREM NARAYAN SHARMA) के नाम से मेरे शासकीय/अशासकीय सभी दस्तावेजों में दर्ज कर जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(उमाशंकर शर्मा)	**(सुनील शर्मा)**
	(SUNIL SHARMA)
	पिता– प्रेमनारायण शर्मा
	(PREM NARAYAN SHARMA).

(G-853)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम श्री अमोद कुमार गढेवाल एवं माता का नाम रश्मि गढेवाल अंकित हो गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. जबकि हमारे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम अमोद कुमार एवं मेरी पत्नी का नाम रश्मि गरेहटे अंकित है जो सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में पिता का नाम अमोद कुमार एवं माता का नाम रश्मि गरेहटे अंकित किया जावे.

आवेदक

(अमोद कुमार)
पत्नी– श्रीमती रश्मि गरेहटे
पता– म.नं. 1303, हरदौल मंदिर,
शाही नाका रोड, गढा, जबलपुर (म.प्र.).

(G-854)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका घरेलू नाम KANHA दर्ज हो गया है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, अंकसूची पर उसका सही नाम नितेश सिंह/NITESH SINGH दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरे पुत्र को नितेश सिंह/NITESH SINGH के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(प्रेम सिंह)
निवासी– 43, ग्राम व पोस्ट गिलाखेडी, कुरावर,
जिला राजगढ़ (म.प्र.).

(G-855)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम ऋषभ चौहान पुत्र अमित चौहान (RISHABH CHOUHAN S/o. AMIT CHOUHAN), निवासी– ग्राम गुगलवाड़ा, तहसील बाड़ी, रायसेन (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम ऋषव चौहान पुत्र अमित चौहान (RISHAV CHOUHAN S/o. AMIT CHOUHAN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम ऋषभ चौहान पुत्र अमित चौहान (RISHABH CHOUHAN S/o. AMIT CHOUHAN) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(अमित चौहान).

(G-856)

नाम परिवर्तन

मैं, देशराज सिंह पुत्र श्री केदार, निवासी– ग्राम पोस्ट विलाव, जिला भिण्ड (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम राधेश्याम (Radheshya) अंकित हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम देशराज सिंह (Deshraj Singh) पुत्र केदार (Kedar) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम देशराज सिंह (Deshraj Singh) पुत्र केदार (Kedar) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(राधेश्याम)
(Radheshya)

नया नाम

(देशराज सिंह)
(Deshraj Singh)
पुत्र– केदार
(Kedar).

(G-857)

नाम परिवर्तन

मैं, नंदकिशोर पाल पुत्र स्व. श्री जगदीश पाल, निवासी– वार्ड नं–08, खाकरोन, ढाना, नरियावली सागर (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम संजना पाल (SANJNA PAL) है, परन्तु मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश आधार कार्ड में वंदना पाल (VANDANA PAL) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का नाम जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में सही नाम दर्ज है, यह कि संजना पाल (SANJNA PAL) व वंदना पाल (VANDANA PAL) दोनों एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को सही नाम संजना पाल (SANJNA PAL) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(नंदकिशोर पाल)

पुत्र– स्व. श्री जगदीश पाल.

(G-858)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम दीपक परमार पिता श्री दुलेसिंह परमार (DIPAK PARMAR S/o. DULESINGH PARMAR), निवासी– नदी फलिया, खेडी, झाबुआ, खेड़ी (कल्याणपुरा) कल्यानपुर, झाबुआ (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम दीपेश पिता श्री दूलेसिंह (DIPESH S/o. DULESINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम दीपक परमार पिता श्री दुलेसिंह परमार (DIPAK PARMAR S/o. DULESINGH PARMAR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(दुलेसिंह परमार)

पुत्र– पीदिया परमार.

(G-859)

नाम परिवर्तन

मैं, राहुल धाकड पिता भौया लाल, निवासी – ग्राम जैतपुर बम्होरी गोदाद, बम्होरीगोदाद, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश प्रकाश नारायण (PRAKASH NARAYAN) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे वोटर कार्ड पर राहुल धाकड (RAHUL DHAKAD) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/ समस्त दस्तावेजों में सही नाम राहुल धाकड (RAHUL DHAKAD) के नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रकाश नारायण)	**(राहुल धाकड)**
(PRAKASH NARAYAN)	**(RAHUL DHAKAD).**

(G-860)

उपनाम परिवर्तन

मैं, रीना दुबे पिता श्री महेश कुमार दुबे, निवासी– N4/11, नियर कस्तूरबा हॉस्पिटल, भेल, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.). शादी के पूर्व मेरा नाम रीना दुबे पिता श्री महेश कुमार दुबे था. मेरा विवाह श्री अनूप उपाध्याय से होने के बाद अब मैं, श्रीमती रीना उपाध्याय पत्नी श्री अनूप उपाध्याय के नाम से जानी जाने लगी हूँ. रीना दुबे और रीना उपाध्याय दोनों नाम मेरे स्वयं के है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे रीना उपाध्याय के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रीना दुबे)	**(रीना उपाध्याय)**
पिता– श्री महेश कुमार दुबे	पत्नी– श्री अनूप उपाध्याय

(G-861)

नाम परिवर्तन

मैं, सदुआ आत्मज श्री गनेश, निवासी– ग्राम सारंगपुर, मुख्य मार्ग, पोस्ट कामती, बिजली पोल के पास, तहसील सोहागपुर, नर्मदापुरम (म.प्र.) मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश सदुआ आत्मज श्री गनेश अंकित हो गया है. मेरा सही नाम सट्टू लाल धुर्वे आत्मज श्री गनेश राम धुर्वे है. मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा सही नाम सट्टू लाल धुर्वे आत्मज श्री गनेश राम धुर्वे ही अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरा सही नाम सट्टू लाल धुर्वे आत्मज श्री गनेशराम धुर्वे (SATTU LAL DHRUVE S/o. GANESH RAM DHURVE) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(सट्टू लाल धुर्वे)

आत्मज– श्री गनेशराम धुर्वे.

(G-862)

नाम परिवर्तन

मैं, अशोक व्यास पुत्र रामनारायण (Ashok Vyas S/o. Ramnarayan), निवासी– 198, चौकसे नगर, डी आई जी बंगला, बैरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अशोक कुमार शर्मा (Ashok Kumar Sharma S/o. Ramnarayan Sharma) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे वोटर आई.डी. एवं राशन कार्ड के दस्तावेजों में दर्ज है तथा सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम अशोक व्यास (Ashok Vyas S/o. Ramnarayan) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अशोक कुमार शर्मा)	**(अशोक व्यास)**
(Ashok Kumar Sharma)	**(Ashok Vyas)**
पुत्र– रामनारायण	पुत्र– रामनारायण शर्मा
S/o. Ramnarayan Sharma	S/o. Ramnarayan.

(G-863)

नाम परिवर्तन

मेरी पौत्री का नाम कंचन बंसल संरक्षक तुलाराम बंसल (Kanchan Bansal C/o. Tularam Bansal), निवासी– वार्ड नं. 21, पुलिस चौकी का पास मोहागिरी, विदिशा (म.प्र.). मेरी पौत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम लता बंसल पुत्री स्व. दीपक बंसल (Lata Bansal D/o. Late Deepak Bansal) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पौत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है तथा सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पौत्री का नाम कंचन बंसल संरक्षक तुलाराम बंसल (Kanchan Bansal C/o. Tularam Bansal) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(तुलाराम बंसल)

पुत्र– जगन्नाथ बंसल.

(G-864)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम राजेश्वरी काछी पुत्री संतोष काछी (Rajeshwari Kachhi D/o. Santosh Kanchhi), निवासी– ग्राम पोस्ट बोहानी, तहसील गाडरवारा बोहानी, गाडरवारा, नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम संध्या काछी पुत्री हरिओम काछी (Sandhya Kachhi D/o. Hariom Kachhi) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है तथा सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम राजेश्वरी काछी पुत्री संतोष काछी (Rajeshwari Kachhi D/o. Santosh Kanchhi) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(संतोष)

पुत्र– गजराज सिंह.

(G-865)

नाम परिवर्तन

मैं, अंकुर, मेरे पुत्र शेखर (SHEKHAR) के आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश अनुराग सिंह (ANURAG SINGH) अंकित हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम शेखर (SHEKHAR) है, जो कि उसकी अंकसूची, जन्म प्रमाण–पत्र एवं समग्र आई.डी. सहित अन्य दस्तावेजों में सही नाम शेखर (SHEKHAR) अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में शेखर (SHEKHAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अंकुर)
पुत्र– श्री हरनाम सिंह,
निवासी– ग्राम गेहूँखेड़ी, पोस्ट बांसखेड़ी अस्पाल,
तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-866)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश सम्पत बाई (SAMPAT BAI) अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही नाम गुडडी बाई (GUDDI BAI) है. जो कि मेरे मतदाता पहचान–पत्र, राशनकार्ड, समग्र आई.डी, मूल निवासी एवं खसरा नकल सहित अन्य दस्तावेजों में सही नाम गुडडी बाई (GUDDI BAI) अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम गुडडी बाई (GUDDI BAI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सम्पत बाई)
(SAMPAT BAI)

नया नाम

(गुडडी बाई)
(GUDDI BAI)
निवासी– ग्राम चाठौली, तहसील सिरोंज,
जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-867)

नाम परिवर्तन

मैं, अजय पाल सिंह दांगी, मेरी पुत्री अवनि दाँगी (AVNI DANGI) के आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश मिष्ठी दाँगी (MISHTHI DANGI) अंकित हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम अवनि दाँगी (AVNI DANGI) है, जो कि उसकी अंकसूची, जन्म प्रमाण–पत्र एवं सम्रग आई.डी सहित अन्य दस्तावेजों में सही नाम अवनि दाँगी (AVNI DANGI) अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/ व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम अवनि दाँगी (AVNI DANGI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अजय पाल सिंह दांगी)
पुत्र– श्री दीवान सिंह दांगी
निवासी– ग्राम चाठौली, तहसील सिरोंज,
जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-868)

नाम परिवर्तन

मैं, संजय सिंह पिता श्री जवाहर सिंह, निवासी– 3577/1, कटरा अधारताल, जबलपुर (म.प्र.). परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में नाम सान्या सिंह (SANYA SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम श्रेया सिंह (SHREYA SINGH) है, जो सभी शैक्षणिक दस्तावेजों व जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम श्रेया सिंह (SHREYA SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संजय सिंह)
पिता– श्री जवाहर सिंह.

(G-869)

नाम परिवर्तन

मैं, आशीष कुमार पटेल पिता लखनलाल पटेल, निवासी– 1864, प्रोफेसर कालोनी, दीपाली विद्यालय, बजरंग नगर, जबलपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम रूद्र पटेल पिता आशीष पटेल लिखा है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में नाम रूद्रांश पटेल पिता आशीष कुमार पटेल माता सारिका पटेल दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, स्कूल की अंकसूचियों में रूद्रांश पटेल पिता आशीष कुमार पटेल, माता सारिका पटेल के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(आशीष कुमार पटेल)
पिता– लखनलाल पटेल.

(G-870)

नाम परिवर्तन

मैं, श्यामलाल दाहिया पिता बाल्मीक दाहिया, निवासी– ग्राम मकराज, तह. अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम दिव्यांशु दाहिया लिख गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, अंकसूची एवं अन्य दस्तावेजों में नाम कृष्णम् दाहिया लिखा है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन के उपरान्त मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में कृष्णम् दाहिया पिता श्यामलाल दाहिया माता बबली दाहिया के नाम से जाना–पहचाना, लिखा– पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(श्यामलाल दाहिया)
पिता– बाल्मीक दाहिया.

(G-871)

नाम परिवर्तन

मैं, रामराज ठाकुर पिता बलराम सिंह ठाकुर, निवासी– लखहार, आगासौद, सागर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अभि ठाकुर (AVHEE THAKUR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम अभी ठाकुर पिता श्री रामराज ठाकुर (ABHI THAKUR S/o. RAMRAJ THAKUR) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रामराज ठाकुर)
पिता– बलराम सिंह ठाकुर.

(G-872)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम जगपाल सिंह डोडिया आत्मज श्री शिवराज सिंह डोडिया, निवासी– ग्राम उनी, तहसील जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.). आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम तेजपाल सिंह (Tejpal Singh) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र की अंकसूची एवं जन्म प्रमाण– पत्र में सही नाम जगपाल सिंह डोडिया (Jagpal Singh Dodiya) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम जगपाल सिंह डोडिया (Jagpal Singh Dodiya) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(तेजपाल सिंह)	**(जगपाल सिंह डोडिया)**
(Tejpal Singh)	**(Jagpal Singh Dodiya).**

(G-873)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मानसिंह मीना पुत्र श्री किशंन मीना, निवासी– कालापीपल, ग्राम पारदाखेड़ी, तहसील कालापीपल, शाजापुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम रविन्द्र मीना पुत्र श्री किशन मीना (RAVINDRA MEENA S/o. KISHAN MEENA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम दीपक मीना पुत्र श्री मानसिंह मीना (DEEPAK MEENA S/o. MANSINGH MEENA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मानसिंह मीना)

पुत्र– श्री किशन मीना.

(G-874)

उपनाम परिवर्तन

मेरा पुराना नाम ऋषभ वर्मा था, जिसे परिवर्तित कर मेरा नया नाम ऋषभ सिंह राजपूत (Rishabh Singh Rajput) पिता श्री महेन्द्र सिंह वर्मा हो गया है. इससे पूर्व मुझे ऋषभ वर्मा के नाम से जाना–पहचाना जाता था. अब मेरा नया नाम ऋषभ सिंह राजपूत (Rishabh Singh Rajput) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त दस्तावेजों में ऋषभ वर्मा के स्थान पर नया नाम ऋषभ सिंह राजपूत (Rishabh Singh Rajput) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(ऋषभ वर्मा)	**(ऋषभ सिंह राजपूत)**
(Rishabh Verma)	**(Rishabh Singh Rajput).**

(G-875)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अभिलाषा मिश्रा पति श्री स्वर्गीय अनूप कुमार मिश्रा, निवासी– ग्राम कुवरपुर, तहसील पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में सभी मिश्रा लेख है. अंकसूची एवं समस्त दस्तावेजों में अंशुमन मिश्रा समी लेख है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम आधार कार्ड मे समी मिश्रा के स्थान पर अंशुमन मिश्रा समी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(अभिलाषा मिश्रा)

पति– स्व. श्री अनूप कुमार मिश्रा

(G-876)

CHANGE OF NAME

I, declare that, My name is Vidyasagar Patidar S/o. DevendraKumar Patidar but in my childhood recorded name is Vidyasagar Patidar S/o. Babulal Patidar. So I should also known and recognized my both name Vidyasagar Patidar S/o. Devendra Kumar Patidar and Vidyasagar Patidar S/o. Babulal Patidar.

Old Name	New Name
(Vidyasagar Patidar)	**(Vidyasagar Patidar)**
S/o. Babulal Patidar	S/o. Devendra Kumar Patidar.

(G-877)

नाम परिवर्तन

मैं, आशा शर्मा पति श्री गंगा प्रसाद शर्मा, निवासी– म.नं. 536, सीएमओ ऑफिस के पीछे, तोपखाना बिछिया, तहसील हुजूर नगर जिला रीवा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम प्रीतू बाई शर्मा पति श्री गंगा प्रसाद शर्मा अंकित है जो कि गलत नाम है, जबकि मेरे पति के नाम से जारी पीपीओ (पेंशन अदायगी आदेश) आदि में मेरा नाम आशा शर्मा पति श्री गंगा प्रसाद शर्मा अंकित है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम आशा शर्मा पति श्री गंगा प्रसाद शर्मा के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रीतू बाई शर्मा)	**(आशा शर्मा)**
	पति– श्री गंगा प्रसाद शर्मा.

(G-878)

नाम परिवर्तन

मैं, मोर सिंह (Mor Singh) पिता अमर सिंह, निवासी– 18, कनखेड़ा खामखेड़ा मेढकी, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मोहर सिंह पुत्र अमर सिंह अंकित है, जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम मोर सिंह (Mor Singh) पिता अमर सिंह है, जो कि मेरे अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम मोर सिंह (Mor Singh) पिता अमर सिंह के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मोहर सिंह)	**(मोर सिंह)**
	(Mor Singh)
	पिता– अमर सिंह.

(G-879)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम कनिष्क मालवीय है जो कक्षा 1 से 9 तक इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाता था. 10वी बोर्ड में हिमांक मालवीय नाम अंकित है और आधार कार्ड में भी कनिष्क मालवीय नाम है. इस नाम को पूर्णतः त्यागता है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में उसे हिमांक मालवीय के नाम से ही जाना–पहचाना एवं समस्त शाासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में इसी नाम से दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मुकेश कुमार मालवीय)
पता– 34 डीके 1 स्कीम नं. 74 सी,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-880)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती खिमिया बाई पत्नी श्री लालचंद, पुत्री स्व. श्री रामचरण, निवासी– म. नं. 1371, दुर्गा नगर, नई जेल रोड, करोंद, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम खिम्मी बाई पत्नी श्री लाल चंद दर्ज है एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम खिमिया बाई पत्नी श्री लालचंद दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त जहां कहीं भी मेरा नाम खिम्मी बाई पत्नी श्री लाल चंद है उसके स्थान पर मेरा सही नाम खिमिया बाई पत्नी श्री लालचंद पढ़ा–लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(खिम्मी बाई)

नया नाम

(खिमिया बाई).
पत्नी– श्री लालचंद.

(G-881)

नाम परिवर्तन

मैं, आर.डी. करकरे आत्मज स्व. श्री डी. डब्ल्यू करकरे, निवासी– म.नं. 21 दमोह रोड़, कृषि उपज मण्डी, मनमोहन नगर, जबलपुर (म.प्र.). मेरे विभिन्न दस्तावेजों में नाम प्रथक–प्रथक ''आर. डी. करकरे'', ''रामचन्द्र करकरे'', ''राम चन्द्र करकरे'', '' करकरे रामचन्द्र'' एवं मेरे पिता का नाम भी प्रथक–प्रथक रूप से ''डी. डब्ल्यू करकरे'', ''दिगम्बर करकरें'' दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम राम चन्द्र करकरे पिता दिगम्बर करकरे के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(राम चन्द्र करकरे)
पिता– दिगम्बर करकरे.

(G-882)

CHANGE OF NAME

I, Nirmala Agrawal S/o. Bhgwandas Agrawal here by Declare That I have changed My Name as Nirmal Kumar Agrawal S/o. Bhgwandas Agrawal so, from now and in future I will be known by my new name Nirmal Kumar Agrawal S/o. Bhgwandas Agrawal.

Old Name

(Nirmala Agrawal)

New Name

(Nirmal Kumar Agrawal)
S/o. Bhgwandas Agrawal
Add: P-7, Hoshangabad Road, Narayan Nagar,
Near Gurga Mandir, Huzur, Bhopal (M.P.).

(G-883)

CHANGE OF NAME

I, Lalik Kumar Godha S/o. Basanti Lal Godha here by Declare That I have changed My Name as Lalit Kumar Godha S/o. Basanti Lal Godha so, from now and in future I will be known by my new name Lalit Kumar Godha S/o. Basanti Lal Godha

Old Name

(Lalik Kumar Godha)

New Name

(Lalit Kumar Godha)
S/o. Basanti Lal Godha
Add: D- 21, F-4, Thadaram Apartment Phase - 2,
BDA Colony, Near Jai Mandir, Kohe Fiza,
Huzur, Bhopal (M.P.).

(G-884)

CHANGE OF NAME

I, Abhya Manwalkar S/o. Vishnu Purushottam Manwalkar here by Declare That I, have changed My Name as Abhay Manwalkar S/o. Vishnu Purushottam Manwalkar so, from now and in future I will be known by my new name Abhay Manwalkar S/o. Vishnu Purushottam Manwalkar.

Old Name	New Name
(Abhya Manwalkar) S/o. Vishnu Purushottam Manwalkar	**(Abhay Manwalkar)** S/o. Vishnu Purushottam Manwalkar Add:- 17, Lotus Villa Opp. Balaji Dham, Enclave Ahodpur, City Center, Gird, Gwalior (M.P.).

(G-885)

CHANGE OF NAME

I, SHRI SHARWAN AGRAWAL S/o. NANDKISHOR AGRAWAL here by Declare That I, have changed My name as SRAVAN KUMAR AGRAWAL S/o. NANDKISHOR AGRAWAL So, from now and in future I will be known by my new name. SRAVAN KUMAR AGRAWAL S/o. NANDKISHOR AGRAWAL.

Old Name	New Name
(SHARWAN AGRAWAL)	**(SRAVAN KUMAR AGRAWAL)** S/o. NANDKISHOR AGRAWAL Add:- GAWATRI MANDIR AREA, SHASTRI WARD, SEONI (M.P.).

(G-886)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का पूर्व में नाम दियान सिंघी (Diyaan Singhi) था. जिसे परिवर्तन कर वर्तमान में मेरे पुत्र दियान जैन (Diyaan Jain) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में अंकित किया जावे.

आवेदिका

(मेघा जैन)

(Megha Jain)

निवासी– फ्लैट नं. 103, बरसाना ब्लेसिंग्स, फूटी कोठी चौराहा,
स्कीम नं. 71, सुदामा नगर, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-887)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम निर्मला (NIRMALA) था. जिसे परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे नम्रता बारोड (NAMRTA BAROD) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में अंकित किया जावे.

प्रार्थिनी

(नम्रता बारोड)

(NAMRTA BAROD)

निवासी– 19, खण्डवा रोड, शिव नगर, इंदौर (म.प्र.).

(G-888)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम मुन्नी बाई (MUNNI BAI) था. जिसे मैंने परिवर्तन कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे देवकन्या बाई (DEVKANYA BAI) के नाम से जाना–पहचाना एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(देवकन्या बाई)

(DEVKANYA BAI)

निवासी– 01, गिरधर कालोनी, जिला इंदौर (म.प्र.).

(G-889)

नाम परिवर्तन

मेरा पूरा नाम हिन्दी में आलोक श्रीवास्तव पिता बहादुर लाल श्रीवास्तव एवं अंग्रेजी में (Alok shrivastava) है. यही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अंग्रेजी में AAlok Shrivastav लिखा गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम अंग्रेजी में Alok Shrivastava के नाम से जाना–पहचाना व शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(आलोक श्रीवास्तव)

पता–वार्ड नम्बर 22, भगतसिंह नगर, इटारसी,
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.).

(G-890)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम प्रिया गुर्जर पुत्री काशीराम गुर्जर (Priya Gurjar D/o. Kashiram Gurjar), निवासी– ग्राम सुआ खेड़ी, बरखेड़ा सुकाल, सेहोरे, सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम प्रकाश पुत्री काशीराम गुर्जर (Prakash D/o. Kashiram Gurjar) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे पैन कार्ड में है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम प्रिया गुर्जर पुत्री काशीराम गुर्जर (Priya Gurjar D/o. Kashiram Gurjar) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रकाश)	**(प्रिया गुर्जर)**
(Prakash)	**(Priya Gurjar)**
	पुत्री– काशीराम गुर्जर
	D/o. Kashiram Gurjar.

(G-891)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम देव गुर्जर पुत्र महताब सिंह गुर्जर (Dev Gurjar S/o. Mehtav Singh Gurjar), निवासी– ई–407, शबरी नगर, भानपुर, हुजुर, पीपल्स कम्पुस, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम बनबारी पुत्र महताब सिंह गुर्जर (Banbari S/o. Mehtab Singh Gurjar) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे पैन कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम देव गुर्जर पुत्र महताब सिंह गुर्जर (Dev Gurjar S/o. Mehtav Singh Gurjar) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(बनबारी)	**(देव गुर्जर)**
(Banbari)	**(Dev Gurjar)**
	पुत्र– महताब सिंह गुर्जर
	S/o. Mehtav Singh Gurjar.

(G-892)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राजरानी वर्मा पत्नी बिशनलाल (Rajrani Verma W/o. Bishanalal), निवासी–वार्ड नं.7, मंडीदीप, रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम रानी बाई पत्नी बिशनलाल (Rani Bai W/o. Bishanlal) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे वोटर आई.डी. व बैंक पासबुक एवं सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम राजरानी वर्मा पत्नी बिशनलाल (Rajrani Verma W/o. Bishanalal) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रानी बाई)	(राजरानी वर्मा)
(Rani Bai)	**(Rajrani Verma)**
	पत्नी– बिशनलाल
	W/o. Bishanlal.

(G-893)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम चतुर्भुज पिता मोहन लाल (CHATURBHUJ S/o. MOHAN LAL), निवासी– 598 ट, कोटरी कलां, पोस्ट कोटरी कलां, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम मान सिंह मीणा पिता मोहन लाल (MAN SINGH MEENA S/o. MOHAN LAL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे निर्वाचन आयोग कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम चतुर्भुज पिता मोहन लाल (CHATURBHUJ S/o. MOHAN LAL) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मान सिंह मीणा)	(चतुर्भुज)
(MAN SINGH MEENA)	**(CHATURBHUJ)**
	पिता– मोहन लाल
	S/o. MOHAN LAL.

(G-894)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम संतोष राय पुत्र श्री पदम सिंह, निवासी– मकान नंबर 457, पुरनपुरा, चिंतपुरनी माता मंदिर के पास, नया आवास, विदिशा (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम युवराज राय पुत्र श्री संतोष राय (Yuvraj Rai S/o. Santosh Rai) है, मेरे पुत्र के समस्त सरकारी दस्तावेजों में त्रुटिवश नाम यंसुमन राय पुत्र श्री संतोष राय (Yansuman Rai S/o. Santosh Rai) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम युवराज राय पुत्र श्री संतोष राय (Yuvraj Rai S/o. Santosh Rai) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संतोष राय)

पुत्र– श्री पदम सिंह.

(G-895)

नाम परिवर्तन

मैं, अंशिका लोधी पति ओमकार सिंह ठाकुर, निवासी– मुहरा, तहसील तेंदूखेड़ा, जिला दमोह (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम ग्राम मुहरा (Gram Muhara) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम अंशिका लोधी (ANSHIKA LODHI) है, जो कि मेरे वोटर आई.डी. कार्ड एवं स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. मेरा सही नाम मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे अंशिका लोधी (ANSHIKA LODHI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(ग्राम मुहरा)	**(अंशिका लोधी)**
(Gram Muhara)	**(ANSHIKA LODHI).**

(G-896)

नाम परिवर्तन

मैं, दामोदर पटेल पिता श्री ओमकार सिंह पटेल, निवासी– ग्राम जमुनिया, पोस्ट जमुनिया, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश आधार कार्ड में अनुराधा (Anuradha) पिता दामोदर पटेल (Damodar Patel) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम ईशा पटेल (ISHA PATEL) पिता दामोदर पटेल (DAMODAR PATEL) है, जो कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को ईशा पटेल (ISHA PATEL) पिता दामोदर पटेल (DAMODAR PATEL) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(दामोदर पटेल)

पिता– श्री ओमकार सिंह पटेल.

(G-897)

नाम परिवर्तन

मैं, हेमराज शाक्यवार पिता पृथ्वीलाल शाक्यवार, निवासी– वार्ड नं. 12, घोसी मोहल्ला, बीनागंज, तहसील चाचौड़ा खतौली नगरीय, जिला गुना, (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश साकित कोली (Sakit Koli) पिता हेमराज शाक्यवार (Hemraj Shakyawar) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम समकित शाक्यवार (SAMKIT SHAKYAWAR) पिता हेमराज शाक्यवार (HEMRAJ SHAKYAWAR) है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को समकित शाक्यवार (SAMKIT SHAKYAWAR) पिता हेमराज शाक्यवार (HEMRAJ SHAKYAWAR) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(हेमराज शाक्यवार)

पिता– पृथ्वीलाल शाक्यवार.

(G-898)

नाम परिवर्तन

मैं, भंवर सिंह पिता निर्भय सिंह, निवासी– इन्द्रा नगर, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम tejsigh दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम आदित्य ठाकुर (ADITYA THAKUR) पिता भंवर सिंह (BHANVAR SINGH) है, जो मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को आदित्य ठाकुर (ADITYA THAKUR) पिता भंवर सिंह (BHANVAR SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(भंवर सिंह)

पिता– निर्भय सिंह.

(G-899)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम आरती सौलखे पत्नी हेमेंद्र सौलखे (AARTI SOULAKHE W/o. HEMENDRA SOULAKHE), निवासी– वार्ड नं. 16, रानी अवंती बाई चौक, नैतरा, बालाघाट (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम आरती पुत्री श्री शारदा प्रसाद लिल्हारे (AARATI D/o. SHARADA PRASAD LILHARE) अंकित था, परन्तु मेरे विवाह के पश्चात् मेरा सही नाम मेरे भारत निर्वाचन आयोग कार्ड एवं विवाह प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम आरती सौलखे पत्नी हेमेंद्र सौलखे (AARTI SOULAKHE W/o. HEMENDRA SOULAKHE) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आरती)	(आरती सौलखे)
(AARATI)	**(AARTI SOULAKHE)**
पुत्री– श्री शारदा प्रसाद लिल्हार	पत्नी– हेमेंद्र सौलखे
D/o. SHARADA PRASAD LILHARE	W/o. HEMENDRA SOULAKHE.

(G-900)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम कालुसिंह सोनगरा पुत्र चन्दर सिंह (Kalusingh Songara S/o. Chandara Singh), निवासी–396, रत्तागढ़ खेडा, रत्तागढ, रतलाम (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम कालूराम तँवर पुत्र चन्दर सिंह (Kaluram Tanwar S/o. Chandara Singh) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र व वोटर आई.डी. के दस्तावेजों में दर्ज है तथा सही नाम को सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम कालुसिंह सोनगरा पुत्र चन्दर सिंह (Kalusingh Songara S/o. Chandara Singh) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कालूराम तँवर)	(कालुसिंह सोनगरा)
(Kaluram Tanwar)	**(Kalusingh Songara)**
	पुत्र– चन्दर सिंह
	S/o. Chandara Singh.

(G-901)

नाम परिवर्तन

मेरे रेल सेवा अभिलेख में मेरा नाम आशीष बाल्मीकी आत्मज राकेश अंकित है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में आशीष राय (Ashish Rai) अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नया नाम आशीष राय आत्मज श्री राकेश के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम

(आशीष बाल्मीकी)
(Ashish Valmiki)

नया नाम

(आशीष राय)
(Ashish Rai)
आत्मज श्री राकेश
S/o. Rakesh.
पता– म.नं. 54, थाला कॉलोनी, खुशीपुरा,
चाँदबड़, भोपाल (म.प्र.).

(G-902)

नाम परिवर्तन

मैं, चंदाबाई दांगी पत्नी स्वर्गीय बुंदेल सिंह दांगी, निवासी– ग्राम धनिया खेड़ी, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरी बेटी के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम सुभाना दांगी (SHUBHANA DANGI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र व अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका सही नाम सोनम दांगी (SONAM DANGI) पुत्री बुंदेल सिंह दांगी दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सोनम दांगी पुत्री बुंदेल सिंह दांगी के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदिका
(चंदाबाई दांगी)
पत्नी– स्व. बुंदेल सिंह दांगी.

(G-903)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम आशा बी पति श्री सहिद कुरैशी, निवासी– म.नं. 2148 राजीव नगर, सेन्ट्रल स्कूल के पास, स्कूल नं. 1, मैदा मील, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री साजिया कुरैशी के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों एवं आधार कार्ड में पिता का नाम त्रुटिवश सईद कुरैशी एवं माता का नाम आयशा बी अंकित हो गया है, जो कि गलत है. सही नाम आशा बी है, जो कि आधार कार्ड एवं मूल निवासी में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम साजिया कुरैशी पिता सहिद कुरैशी एवं माता का सही नाम आशा बी के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदिका
(आशा बी)
पत्नी– श्री सहिद कुरैशी.

(G-904)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सपना सेन पुत्री श्री नारायण सिंह, निवासी– ग्राम सुकली, पोस्ट बोडा सखली, बोदा, राजगढ़ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम विष्णु सेन अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम सपना सेन के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(विष्णु सेन)

नया नाम

(सपना सेन)

पुत्री– श्री नारायण सिंह.

(G-905)

नाम परिवर्तन

मैं, गजराज सिंह पुत्र श्री गणेशराम, निवासी– ग्राम गुंदरई, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश (BALMAN MALVIY) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में बलवान सिंह (BALWAN SINGH) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम बलवान सिंह (BALWAN SINGH) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(गजराज सिंह)

पुत्र– श्री गणेशराम.

(G-906)

नाम परिवर्तन

मैं, महेंद्र पांचाल पिता श्री संतोष पांचाल, निवासी– ग्राम गवली, पलासिया, इन्दौर (म.प्र.). मेरे पुत्र शैव्य पांचाल (SHAIVYA PANCHAL) के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम श्रेय पांचाल (SHREYA PANCHAL) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम शैव्य पांचाल (SHAIVYA PANCHAL) पिता महेंद्र पांचाल है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को सही नाम शैव्य पांचाल (SHAIVYA PANCHAL) के नाम से जाना–पहचाना एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(महेंद्र पांचाल)

पिता– श्री संतोष पांचाल.

(G-907)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, रतलाम (शहर), मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 14 नवम्बर 2025

(फार्म–4)

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4 (2) के तहत]

क्र.1940–आर–1–25–प्र.क्र. 0003–बी–113(1)–2025–26.–आवेदक सत्यनारायण पिता हीरालाल सेनी, निवासी 19, लम्बी गली, रतलाम (मो.नं. 8770160819) व अन्य की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलाद मवार द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर "रोकडिया हनुमान मंदिर ट्रस्ट रतलाम" ट्रस्ट का कार्यालय श्री रोकडिया हनुमान मंदिर ट्रस्ट, उकाला रोड रतलाम के नाम से नवीन ट्रस्ट का पंजीयन किये जाने को निवेदन किया गया है. जिसकी सुनवाई दिनांक 15 दिसम्बर 2025 को नवीन कलेक्टोरेट भवन, महू–नीमच रोड के कक्ष कमांक 5 में की जावेगी.

2 अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी को वैधानिक आपत्ति हो तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 15 दिसम्बर 2025 को या इसके पूर्व इस न्यायालय में न्यायालयीन समय पर उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं. नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार न करते हुए प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी :–

पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण–

1.न्यास का पूरा नाम व पत्ता		"रोकडिया हनुमान मंदिर ट्रस्ट रतलाम" ट्रस्ट का कार्यालय श्री रोकडिया हनुमान मंदिर ट्रस्ट, उकाला रोड, रतलाम
2. अचल सम्पत्ति		निरंक
3. चल सम्पत्ति	1. नगद धनराशि	रुपये 5,500/–

(G-908) आर्ची हरित, रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

बड़वाह, दिनांक 7 जनवरी 2026

(फार्म–4)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30–1951) की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाह

प्र.क्र. 06–बी–113(1)–2025–26.–चूंकि, प्रार्थी श्री रामरतन पिता मोजीलाल तंवर, निवासी–ग्राम बडूद, तहसील सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा "श्री लोढा तवर समाज समिति" ग्राम बडूद, तहसील सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30–1951) की धारा 4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन–पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन–पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :–

अ.क्र. (1)	नाम वस्तु (2)	विवरण (3)	वजन तथा नग (4)	राशि (5)
01.	नगद	निरंक	निरंक	30,500/–
02.	अचल सम्पत्ति	ग्राम बडूद, पटवारी हल्का नंबर–37, तहसील सनावद स्थित भूमि सर्वे नंबर–195/5, रकबा 0–152 हैक्टर.	निरंक	निंरक

(G-909) **सत्यनारायण दर्रो,** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मल्हारगढ़, मध्यप्रदेश

मल्हारगढ़, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) लोक न्यास नियम, 1962 नियम–5(1) के अंतर्गत]

प्र.क्र. 1024–बी–113(1)–2025–26.–पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उपखण्ड मल्हारगढ, जिला मन्दसौर के समक्ष आवेदक भरत कुमार पिता ओंकारलाल जोशी अध्यक्ष "श्री सांवलिया सेठ मंदिर पिपल्यामंडी (बरखेडा पंथ) तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश" द्वारा आवेदन पेश किया गया.

मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास गठन करती है.

अब इसलिये मैं, स्वाति तिवारी, लोक न्यास का पंजीयक, उपखण्ड मल्हारगढ, जिला मन्दसौर मेरे न्यायालय में पेशी दिनांक 30 जनवरी 2026 को उपखण्ड मल्हारगढ़ पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा–अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करती हूं.

एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा :–

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम	:–	श्री सांवलिया सेठ मंदिर पिपल्यामंडी (बरोडा पंथ) तहसील मल्हारगढ़, मन्दसौर, मध्यप्रदेश
2. ट्रस्ट का कार्यालय	:–	श्री सावलिया सेठ मंदिर पिपल्यामंडी (बरखेड़ा पंथ) में स्थित है.
3. संपति का विवरण	:–	ट्रस्ट की सभी चल सम्पत्तियां ट्रस्ट के अधिकार व आधिपत्य में है, जो निम्न प्रकार है :– "श्री सावलिया सेठ मंदिर पिपल्यामंडी" (बरखेडा पंथ) तहसील मल्हारगढ़, स्मृति नागरिक सहकारी बैंक, पिपल्या मंडी के खाता कमांक 100210056000289 में जमा राशि रुपये 11,111/– मात्र
4. ट्रस्ट की अचल संपति	:–	निरंक

(G-910) **स्वाति तिवारी,** पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, नजूल, टी.टी. नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2026

प्रारुप–4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) के अंतर्गत]

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर, भोपाल जिले के समक्ष,

प्र.क्र.–04–बी–113–2025–26.–चूंकि, श्री आभास जैन आ. श्री एस.सी.जैन, निवासी–एम–1/114, जोन–2, एम.पी. नगर, भोपाल द्वारा "नमस्कारं फाउंडेशन" ट्रस्ट कार्यालय–2/7, प्रथम तल, संजय काम्प्लेक्स, माता मंदिर, भोपाल, मध्यप्रदेश का पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 05 फरवरी 2026 को विचार में लिया जावेगा. अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा :–

अनुसूची

1	ट्रस्ट का नाम	:–	नमस्कारं फाउंडेशन भोपाल (म.प्र.).
2	चल सम्पत्ति	:–	1,54,000/– (एक लाख, चौवन हजार नगद)
3	अचल सम्पत्ति	:–	निल.

आज दिनांक 16 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(G-911) **अर्चना रावत शर्मा,** अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 8 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2026–9.–इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–1126–रायसेन, दिनांक 30 जुलाई 2011 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छिंद, विकासखण्ड बाड़ी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 631, दिनांक 29 दिसम्बर 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एस. जूनागढ़े, अंकेक्षण अधिकारी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण श्री अशोक कुमार शर्मा, अकेक्षण अधिकारी द्वारा किया गया है संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ. इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः, मैं, डॉ. छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की ओर विज्ञाप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99 पन्द्रह–1 सी, दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छिंद, विकासखण्ड, बाडी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 631, दिनांक 29 दिसम्बर 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था की निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 8 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(G- 912)

रायसेन, दिनांक 28 नवम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–691.–इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–917–रायसेन, दिनांक 23 नवम्बर 2022 के द्वारा उदित ईधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., बेगमगंज, विकासखण्ड बेगमगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 939, दिनांक 21 सितम्बर 2006 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री हर्षवर्धन, उप अंकेक्षक, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण श्री विनय मरकाम, वरि.सह.निरी. द्वारा किया गया है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ. इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः, मैं, डॉ. छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की ओर विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99 पन्द्रह–1सी, दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उदित ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., बेगमगंज, विकास खण्ड बेगमगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 939, दिनांक 21 सितम्बर 2006 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था की निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(G- 913) **छविकांत वाघमारे,** उप पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 15 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत)

क्र. परि. 2025–क्यू–1.–कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मेध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :–

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक (3)	पंजीयन दिनांक (4)	परिसमापन आदेश क्र. (5)	परिसमापन दिनांक (6)
1.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., विसुरपाड़ा.	2249	12.06.2018	357/953	29.02.2024
2.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बोरघाट.	2275	12.06.2018	357/954	29.02.2024
3.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., अचरकुण्डा.	2553	10.07.2018	357/955	29.02.2024
4.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., झरण.	2569	11.07.2018	357/956	29.02.2024
5.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., केशवी.	2585	11.07.2018	357/957	29.02.2024
6.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. खारचा.	2776	14.08.2018	357/958	29.02.2024
7.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़.	2250	12.06.2018	357/959	29.02.2024
8.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बिडभोपावर.	2277	12.06.2018	357/960	29.02.2024
9.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., कोकरी.	2554	10.07.2018	357/961	29.02.2024
10.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. पंथा.	2570	11.07.2018	357/962	29.02.2024
11.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. भाटीखोदरा.	2586	11.07.2018	357/963	29.02.2024
12.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या, खरबयडी.	2251	12.06.2018	357/964	29.02.2024
13.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., रामपुरिया.	2281	12.06.2018	357/965	29.02.2024
14.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., चिकली.	2555	10.07.2018	357/966	29.02.2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., लालगढ़.	2571	11.07.2018	357/967	29.02.2024
16.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या.	2587	11.07.2018	357/968	29.02.2024
17.	नारी शक्ति संकुल महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संघ मर्या., गंधवानी.	2807	16.08.2018	357/969	29.02.2024
18.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., हाथीपावा.	2252	12.06.2018	357/970	29.02.2024
19.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., पिपली.	2282	12.06.2018	357/971	29.02.2024
20.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., टोनगांव.	2362	27.06.2018	357/972	29.02.2024
21.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., गोदड़पुरा.	2556	10.07.2018	357/973	29.02.2024
22.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बलेड़ी.	2572	11.07.2018	357/974	29.02.2024
23.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., ग्वालमगरी.	2588	11.07.2018	357/975	29.02.2024
24.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., मुजाल्दा.	2731	14.08.2018	357/976	29.02.2024
25.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., कोटा.	2253	12.06.2018	357/977	29.02.2024
26.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., अजन्ताड़.	2283	12.06.2018	357/978	29.02.2024
27.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., गुंगीदेवी.	2363	27.06.2018	357/979	29.02.2024
28.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बेहड़दा.	2557	10.07.2018	357/980	29.02.2024
29.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., राताकोट.	2573	11.07.2018	357/981	29.02.2024
30.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., सोयला.	2254	12.06.2018	357/982	29.02.2024
31.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बैकल्या.	2284	12.06.2018	357/983	29.02.2024
32.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., गरवाडा.	2364	27.06.2018	357/984	29.02.2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., काबरवा.	2558	10.07.2018	357 / 985	29.02.2024
34.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., कब्याड़कुआं.	2574	11.07.2018	357 / 986	29.02.2024
35.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., घुरसल.	2178	12.06.2018	357 / 987	29.02.2024
36.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., मवाड़.	2255	12.06.2018	357 / 988	29.02.2024
37.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बावड़ीखोदरा.	2365	27.06.2018	357 / 989	29.02.2024
38.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., पानवा.	2559	10.07.2018	357 / 990	29.02.2024
39.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., पांचपिपल्या.	2575	11.07.2018	357 / 991	29.02.2024
40.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., जामली.	2766	14.08.2018	357 / 992	29.02.2024
41.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., कड़दा.	2179	12.06.2018	357 / 993	29.02.2024
42.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बिल्दरी.	2256	12.06.2018	357 / 994	29.02.2024
43.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., रोडदा.	2408	27.06.2018	357 / 995	29.02.2024
44.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., चूम्पीया.	2560	10.07.2018	357 / 996	29.02.2024
45.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., मोहनपुरा.	2576	11.07.2018	357 / 997	29.02.2024
46.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., जोग्या.	2767	14.08.2018	357 / 998	29.02.2024
47.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., केलीखुर्द.	2180	12.06.2018	357 / 999	29.02.2024
48.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., धनोरा.	2257	12.06.2018	357 / 1000	29.02.2024
49.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., वलनेरा.	2409	27.06.2018	357 / 1001	29.02.2024
50.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., चौटियाखेडी.	2561	10.07.2018	357 / 1002	29.02.2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., पूरा.	2577	11.07.2018	357/1003	29.02.2024
52.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., चाकडूद.	2768	14.08.2018	357/1004	29.02.2024
53.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., चांदूड़ी.	2181	12.06.2018	357/1005	29.02.2024
54.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., जेहडी.	2258	12.06.2018	357/1006	29.02.2024
55.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., गंधवानी.	2410	27.06.2018	357/1007	29.02.2024
56.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बाड़ीपुरा.	2546	10.07.2018	357/1008	29.02.2024
57.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., पिपल्दा.	2562	10.07.2018	357/1009	29.02.2024
58.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., केलीकला	2578	11.07.2018	357/1010	29.02.2024
59.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., खेड़ा.	2769	14.08.2018	357/1011	29.02.2024
60.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., अवल्दामान.	2182	12.06.2018	357/1012	29.02.2024
61.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., पीथमपुर.	2259	12.06.2018	357/1013	29.02.2024
62.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., सेंदला.	2411	27.06.2018	357/1014	29.02.2024
63.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., भमोरी.	2547	10.07.2018	357/1015	29.02.2024
64.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बिल्दा.	2563	10.07.2018	357/1016	29.02.2024
65.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., मल्हेरा.	2579	11.07.2018	357/1017	29.02.2024
66.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., धोलाहनुमान.	2770	14.08.2018	357/1018	29.02.2024
67.	सीताराम संकुल महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संघ मर्या., जीराबाद.	2799	16.08.2018	357/1019	29.02.2024
68.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., साली.	2852	28.12.2018	357/1020	29.02.2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
69.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., सोनगांव.	2221	12.06.2018	357/1021	29.02.2024
70.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., मोरीपुरा.	2261	12.06.2018	357/1022	29.02.2024
71.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बारिया.	2412	27.06.2018	357/1023	29.02.2024
72.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रगोजन सहकारी संस्था मर्या., कटारपुरा.	2548	10.07.2018	367/1024	29.02.2024
73.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बोरदा.	2564	10.07.2018	357/1025	29.02.2024
74.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., सातउमरिया.	2580	11.07.2018	357/1026	29.02.2024
75.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., जीराबाद.	2771	14.08.2018	357/1027	29.02.2024
76.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., मछलाई.	2227	12.06.2018	357/1028	29.02.2024
77.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., घयड़ी.	2263	12.06.2018	357/1029	29.02.2024
78.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., कुराड़दा.	2549	10.07.2018	357/1030	29.02.2024
79.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., देदली.	2565	10.07.2018	357/1031	29.02.2024
80.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., झेगदा.	2581	11.07.2018	357/1032	29.02.2024
81.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., भुरियाकुण्डा.	2772	14.08.2018	357/1033	29.02.2024
82.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., पानपुरा.	2238	12.06.2018	357/1034	29.02.2024
83.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., गरवाल.	2265	12.06.2018	357/1035	29.02.2024
84.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., खड़की.	2550	10.07.2018	357/1036	29.02.2024
85.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., उमरकुआंकला.	2566	10.07.2018	357/1037	29.02.2024
86.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., वासली.	2582	11.07.2018	357/1038	29.02.2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
87.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बखतला.	2773	14.08.2018	357/1039	29.02.2024
88.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बडखोदरा.	2239	12.06.2018	357/1040	29.02.2024
89.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., नानखोदरा.	2271	12.06.2018	357/1041	29.02.2024
90.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., खेडीबुजुर्ग.	2551	10.07.2018	357/1042	29.02.2024
91.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., खेडीबलवारी.	2567	10.07.2018	357/1043	29.02.2024
92.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बलवारीखुर्द.	2583	11.07.2018	357/1044	29.02.2024
93.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., रेहड़दा.	2774	14.08.2018	357/1045	29.02.2024
94.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., उमरकुआंखुर्द.	2243	12.06.2018	357/1046	29.02.2024
95.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., लेडगांव.	2273	12.06.2018	357/1047	29.02.2024
96.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., धावड़दा.	2361	27.06.2018	357/1048	29.02.2024
97.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., रोजाबयडा.	2552	10.07.2018	357/1049	29.02.2024
98.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., कामता.	2568	10.07.2018	357/1050	29.02.2024
99.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., खण्डलाई.	2584	11.07.2018	357/1051	29.02.2024
100.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., आमघाटा.	2775	14.08.2018	357/1052	29.02.2024

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय–प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालय, उपायुक्त, सहकारिता (कलेक्टोरेट कैम्पस), जिला धार में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा–पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 15 दिसम्बर 2025 को मेरे पदमुद्रा द्वारा जारी किया गया है.

(G-914) **बबलू चौहान,** परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 5 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2025–26–क्यू.– कार्यालय, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्न कार्यालयीन आदेश एवं संशोधित आदेश के तहत् संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जनता साख सहकारी संस्था मर्या., सेंधवा	514/08.07.2016	750/18.05.2022	श्री प्रदीप रावत, अंकेक्षण अधिकारी.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय–प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में दावेदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि इस अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उस का दावा (क्लेम) मान्य नही किया जावेगा एवं संस्था की लेखा–पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयं में व मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा करा दें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 5 जनवरी, 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G- 915) **प्रदीप रावत,** परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

बड़वानी, दिनांक 1 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2025–26–क्यू.– कार्यालय, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्न कार्यालयीन आदेश एवं संशोधित आदेश के तहत् संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	खाजा नायक आजिविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेकड़मोहाली.	284/19.12.2010	751/18.05.2022	श्री जे.एस.रावत, व.स.नि.
2.	रानीकाजल आजिविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुस्मया.	282/06.12.2010	752/18.05.2022	श्री जे.एस.रावत, व.स.नि.
3.	माँ शारदा साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी.	474/29.04.2015	939/06.07.2018	श्री जे.एस.रावत, व.स.नि.
4.	श्री गिनारा साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी.	389/21.14.2014	943/06.07.2018	श्री जे.एस. रावत, व.स.नि.
5.	सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी	463/29.04.2015	460/31.03.2017	श्री जे.एस. रावत, व.स.नि.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय–प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में दावेदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि इस अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उस का दावा (क्लेम) मान्य नही किया जावेगा एवं संस्था की लेखा–पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयं में व मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा करा दें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

यह सूचना पत्र आज दिनांक 1 जनवरी, 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-916) **जे.एस. रावत,** परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2025

क्र.–उरन–परि.–2025–26–1205.–कार्यालयीन आदेश क्र. उरन–परिसमापन–2019–330, नरसिंहपुर, दिनांक 08 मार्च 2019 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उमरिया (श्रीनगर) पं.क्र. 629, दिनांक 14 दिसम्बर 2011, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1990 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत् सहकारिता विस्तार अधिकारी गोटेगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार संपन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है. तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया आना उचित होगा.

अतः, मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, प्रभारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99–पंद्रह 1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के तहत् प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उमरिया (श्रीनगर) प.क्र. 629, दिनांक 14 दिसम्बर 2011, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 नवम्बर 2025 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-917) **दिनेश कुमार चौरसिया,** प्रभारी उप रजिस्ट्रार.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

कार्यालय, श्रम शिविर, 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 6 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2026–क्यू.– कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :–

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्र. व दिनांक (3)	परिसमापक का संशोधित आदेश क्रमांक/दिनांक (4)
1.	त्रिवेणी साख सहकारी संस्था मर्या., गोमा की फेल, इन्दौर, जिला इन्दौर.	1197/16.02.1994	क्र./परिसमापन/2025/ 3992, दि. 05.12.2025
2.	सदभावना साख सहकारी संस्था मर्या., जिला इन्दौर.	1742/10.10.1995	क्र./परिसमापन/2025/ 3993, दि. 05.12.2025
3.	ईजीमनी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	25/05.09.2013	क्र./परिसमापन/2025/ 3994, दि. 05.12.2025
4.	श्रीनाथ साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	1734/05.08.1995	क्र./परिसमापन/2025/ 4093, दि. 08.12.2025
5.	श्री गंगा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	2090/01.06.2002	क्र./परिसमापन/2025/ 4094, दि. 08.12.2025

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के 2 माह के अंदर मय–प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उस का दावा मान्य नही किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा–पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2026 को मेरे पदमुद्रा द्वारा जारी किया गया है.

(G-918) **श्याम छत्तरी,** परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–2681.–श्री सांईनाथ साख सहकारी संस्था मर्यादित, मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक यु.जे.एन–18, दिनांक 28 जनवरी 2015 है. आदेश में इसे मात्र संस्था शब्द से संबोधित किया जावेगा. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1056, मन्दसौर, दिनांक 11 जुलाई 2025 के द्वारा संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत आदेश पारित कर सुश्री विपिन बडगोती, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं संभागीय कार्यालय, उज्जैन द्वारा यथासमय प्रसारित निर्देश और नियमित विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदत्त निर्देश के पालन में, निर्मित कार्ययोजना अनुसार सतत् रूप से परिसमापक को निर्देशित किया गया. दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को दैनिक समाचार–पत्र "दैनिक ध्वज" के माध्यम से सदस्यों को सूचित किये जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेखी आवेदन–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुआ.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संलग्न वित्तीय पत्रकों में लेनदारी एवं देनदारी दोनो पक्षों को शून्य किया गया. प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन का नियमित अंकेक्षण कराया गया और परीक्षण भी कराया गया. अंकेक्षण एवं परीक्षण के दौरान भी पंजीयन निरस्ती की प्रक्रिया हेतु अनुशंसा की गई.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परमानंद गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ 5–1–99–पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम–निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-919)

मन्दसौर, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–2682.–आंचल साख सहकारी संस्था मर्यादित, मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1333, दिनांक 18 मई 2015 है. आदेश में इसे मात्र संस्था शब्द से संबोधित किया जावेगा. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1054, मंदसौर, दिनांक 11 जुलाई 2025 के द्वारा संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत आदेश पारित कर सुश्री विपिन बडगोती, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं संभागीय कार्यालय, उज्जैन द्वारा यथासमय प्रसारित निर्देश और नियमित विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदत्त निर्देश के पालन में, निर्मित कार्ययोजना अनुसार सतत् रूप से परिसमापक को निर्देशित किया गया. दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को दैनिक समाचार–पत्र "दैनिक ध्वज" के माध्यम से सदस्यों को सूचित किये जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेखी आवेदन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुआ.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संलग्न वित्तीय पत्रकों में लेनदारी एवं देनदारी दोनो पक्षों को शून्य किया गया. प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन का नियमित अंकेक्षण कराया गया और परीक्षण भी कराया गया. अंकेक्षण एवं परीक्षण के दौरान भी पंजीयन निरस्ती की प्रक्रिया हेतु अनुशंसा की गई.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परमानंद गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ 5–1–99–पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम–निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-920)

मन्दसौर, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2025–2683.–जय मां मयूरवाहिनी मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, मेरियाखेडी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1448, दिनांक 27 अक्टूबर 2016 है. आदेश में इसे मात्र संस्था शब्द से संबोधित किया जावेगा. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2303, मंदसौर दिनांक 18 दिसम्बर 2025 के द्वारा संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत आदेश पारित कर सुश्री विपिन बडगोती, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल एवं संभागीय कार्यालय, उज्जैन द्वारा यथासमय प्रकाशित निर्देश और नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदत्त निर्देश के पालन में, निर्मित कार्ययोजना अनुसार सतत् रूप से परिसमापक को निर्देशित किया गया. दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को दैनिक समाचार–पत्र "दैनिक ध्वज" के माध्यम से सदस्यों को सूचित किये जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेखी आवेदन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुआ.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संलग्न वित्तीय पत्रकों में लेनदारी एवं देनदारी दोनो पक्षों को शून्य किया गया. प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन का नियमित अंकेक्षण कराया गया और परीक्षण भी कराया गया. अंकेक्षण एवं परीक्षण के दौरान भी पंजीयन निरस्ती की प्रक्रिया हेतु अनुशंसा की गई.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परमानंद गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रं एफ 5–1–99–पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-921)

मन्दसौर, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2025–2684.–सहकारिता विभागीय कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 326, दिनांक 25 मार्च 1980 है. आदेश में इसे मात्र संस्था शब्द से संबोधित किया जावेगा. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 995, मंदसौर दिनांक 21 दिसम्बर 2024 के द्वारा संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत आदेश पारित कर श्री टी.आर. गुन्द्रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं संभागीय कार्यालय, उज्जैन द्वारा यथासमय प्रकाशित निर्देश और नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदत्त निर्देश के पालन में, निर्मित कार्ययोजना अनुसार सतत् रूप से परिसमापक को निर्देशित किया गया. दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को दैनिक समाचार–पत्र "दैनिक ध्वज" के माध्यम से सदस्यों को सूचित किये जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेखी आवेदन–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुआ.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संलग्न वित्तीय पत्रकों में लेनदारी एवं देनदारी दोनों पक्षों को शून्य किया गया. प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन का नियमित अंकेक्षण कराया गया और परीक्षण भी कराया गया. अंकेक्षण एवं परीक्षण के दौरान भी पंजीयन निरस्ती की प्रक्रिया हेतु अनुशंसा की गई.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परमानंद गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रं एफ 5–1–99–पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-922)

मन्दसौर, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2025–2685.–दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बंजारी, जिसका पंजीयन क्रमांक 953, दिनांक 23 दिसम्बर 2011 है. आदेश में इसे मात्र संस्था शब्द से संबोधित किया जावेगा. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 995, मंदसौर, दिनांक 21 दिसम्बर 2024 के द्वारा संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत आदेश पारित कर श्री टी.आर. गुन्द्रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं संभागीय कार्यालय, उज्जैन द्वारा यथासमय प्रकाशित निर्देश और नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदत्त निर्देश के पालन में, निर्मित कार्ययोजना अनुसार सतत् रूप से परिसमापक को निर्देशित किया गया. दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को दैनिक समाचार–पत्र "दैनिक ध्वज" के माध्यम से सदस्यों को सूचित किये जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेखी आवेदन–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुआ.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संलग्न वित्तीय पत्रकों में लेनदारी एवं देनदारी दोनो पक्षों को शून्य किया गया. प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन का नियमित अंकेक्षण कराया गया और परीक्षण भी कराया गया. अंकेक्षण एवं परीक्षण के दौरान भी पंजीयन निरस्ती की प्रक्रिया हेतु अनुशंसा की गई.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परमानंद गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ 5–1–99–पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-923)

मन्दसौर, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2025–2686.–दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित लोद, जिसका पंजीयन क्रमांक 964, दिनांक 24 अगस्त 2013 है. आदेश में इसे मात्र संस्था शब्द से संबोधित किया जावेगा. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 995, मंदसौर दिनांक 21 दिसम्बर 2024 के द्वारा संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत आदेश पारित कर श्री टी.आर. गुन्द्रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं संभागीय कार्यालय, उज्जैन द्वारा यथासमय प्रसारित निर्देश और नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदत्त निर्देश के पालन में, निर्मित कार्ययोजना अनुसार सतत् रूप से परिसमापक को निर्देशित किया गया. दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को दैनिक समाचार–पत्र "दैनिक ध्वज" के माध्यम से सदस्यों को सुचित किये जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेखी आवेदन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुआ.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संलग्न वित्तीय पत्रकों में लेनदारी एवं देनदारी दोनों पक्षों को शून्य किया गया. प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन का नियमित अंकेक्षण कराया गया और परीक्षण भी कराया गया. अंकेक्षण एवं परीक्षण के दौरान भी पंजीयन निरस्ती की प्रक्रिया हेतु अनुशंसा की गई.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परमानंद गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ 5–1–99–पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-924) **परमानंद गोडरिया,** उप रजिस्ट्रार.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (4) के अंतर्गत]

क्र.–उपंबा–परि.–2025–1563.–प्राथमिक सहजयोग श्रमठेका सहकारी समिति मर्यादित, कासपुर पंजीयन क्रमांक 867, दिनांक 10 दिसम्बर 2013, विकासखण्ड वारासिवनी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक–उपंबा–परि.–2015–958, बालाघाट, दिनांक 29 जुलाई 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक, श्री एस. के. बोम्बर्डे (प्रभारी), सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड/जनपद पंचायत, वारासिवनी द्वारा संस्था को परिसमापन से पुनर्जीवित्त किए जाने के संबंध में संस्था सदस्यों की बैठक दिनांक 18 जनवरी 2025 को कार्यालय सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कायदी में आहूत की गयी. परिसमापक द्वारा बैठक में संस्था की पंजीयन निरस्ती एवं पुनर्जीवित तथा बैंक में राशि जमा करने की कार्यवाही का निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा दिनांक 10 जून 2025 को संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री गणेश हनवत के घर पर पुनः समिति सदस्यों की बैठक आयोजित की गयी जिसमें समिति के संचालन हेतु नामांकित संचालक मंडल का गठन, समिति के निर्वाचन हेतु तीन माह में आवेदन देने, समिति का बैंक खाता खोलने जिसमे परिसमापक द्वारा संस्था के खाते से निकाली गयी राशि को पुनः वापस संस्था के बैंक खाते में जमा करने तथा समिति की तीन साल की व्यवसायिक कार्ययोजना प्रस्तावित की जाकर संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का निर्णय लिया गया.

उपरोक्त कारणों से परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में संस्था को पुनर्जीवित किये जाने की अनुशंसा से सहमत होते हुए समिति को एक अवसर प्रदाय किया जाना व सदस्यों के हित में समिति का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक प्रतीत होता है तथा इस निष्कर्ष पहुंचा जा सकता है कि संस्था पुनर्जीवित होने के पश्चात् अपने उद्देश्यों के अनुरूप सदस्यों के हितों में कार्य करने हेतु सक्षम रहेगी.

अतः मैं, राजेश उइके, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, बालाघाट एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, बालाघाट, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ–5–1–99 पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(4) के प्रावधानों के अंतर्गत प्राथमिक सहजयोग श्रमठेका सहकारी समिति मर्यादित, कासपुर, पंजीयन क्रमांक 867, दिनांक 10 दिसम्बर 2013 के परिसमापन आदेश क्रमांक–उपंबा–परि.–2015–958, बालाघाट दिनांक 29 जुलाई 2015 को निरस्त करते हुए संस्था को पुनर्जीवित करता हूं एवं समिति के संचालक मंडल के चुनाव होने (तीन माह की अवधि) तक परिसमापक द्वारा प्रस्तावित समिति के कार्यभार संचालन हेतु अध्यक्ष श्री गणेश हनवत, उपाध्यक्ष श्री नरबद पटले, संचालक श्री गन्नालाल चौधरी, श्री चौवाराम ठाकरे, श्री बंसत हनयत, श्री शिवचरण बिसेन, श्री प्रमोद बोपचे, श्री सुंदरलाल पटले, श्रीमती बसंताबाई मड़ावी, श्रीमती कौतिकाबाई खोब्रागडे, श्रीमती कमला हनवत को पदाधिकारी/संचालक नामांकित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-925) **राजेश उइके,** प्रभारी उप पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 15 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू.–उप–सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :–

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व द्विनांक (3)	परिसमापन क्रमांक व दिनांक (4)
1	चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., रेवाबाग	40/25.07.1971	1370/09.08.1980

सहकारी अधिनियम की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना–पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय–प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं ए.बी. रोड देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगीं तथा संस्थाओं की लेखा–पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नही सौपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहुकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शुन्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 15 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(G-926) **आभा काचले,** परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 16 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2025.–कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के व्दारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :–

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्र. व दिनांक (3)	परिसमापन का संशोधित आदेश क्रमांक/दिनांक (4)
1.	लक्ष्य साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	193/05.09.2013	क्र./निर्वा./2025/4016, दिनांक 05.12.2025
2.	कारागार कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	115	क्र./निर्वा./2025/4017, दिनांक 05.12.2025
3.	ग्रामोधर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	201/26.08.2014	क्र./निर्वा./2025/4018, दिनांक 05.12.2025
4.	गांधी हरि गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर. जिला इन्दौर.	42/10.10.1983	क्र./निर्वा./2025/4019, दिनांक 05.12.2025
5.	गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., कोदरिया, जिला इन्दौर.	50/04.04.1963	क्र./निर्वा./2025/4020, दिनांक 05.12.2025

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना– पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय–प्रमाण के मुझे लिखित रुप में प्रस्तुत करें त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाम के बंटवारे से वंचित के दावित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा–पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को मेरे व्दारा जारी किया गया है.

(G-927) **सविता भायरे,** परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1996.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1901, दिनांक 07 सितम्बर 2020 से शानू प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार संस्था मर्या., डबरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–610, दिनांक 21 अक्टूबर 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2025 से शानू प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार संस्था मर्या. , डबरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-928)

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1997.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1921, दिनांक 07 सितम्बर 2020 से मिली प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–482, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा, दिनांक 18 दिसम्बर 2025 से मिली प्राथमिक उपभोक्ता, सहकारी भण्डार संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश

सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-929)

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1998.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2362, दिनांक 10 दिसम्बर 2018 से शकुन महिला कल्याण उद्योग प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–515, दिनांक 12 फरवरी 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2025 से शकुन महिला कल्याण उद्योग प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-930)

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1999.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1884, दिनांक 07 सितम्बर 2020 से सक्षम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–638, दिनांक 28 जनवरी, 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक. द्वारा, दिनांक 18 दिसम्बर 2025 से सक्षम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर, पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन

के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गयो.

(G-931)

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–2000.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–419, दिनांक 15 फरवरी 2005 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विजौली, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–497, दिनांक 31 मार्च, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री संजय अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री संजय अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा, दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विजौली, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर, के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री संजय अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-932)

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–2001.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1674, दिनांक 17 जुलाई 2002 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचौरा, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–647, दिनांक 15 अप्रैल 1993 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री संजय अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री संजय अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2025 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचौरा, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री संजय अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-933)

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–2002.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–981, दिनांक 21 मार्च 2016 से रामेश्वरधाम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जरगांव, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–944, दिनांक 26 जून 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री संजय अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री संजय अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा, दिनांक 22 दिसम्बर 2025 से रामेश्वरधाम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर, के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री संजय अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-934)

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–2003.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि–1668, दिनांक 17 जुलाई 2002 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मउछ, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–517, दिनांक 08 फरवरी 1990 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री संजय अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री संजय अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2025 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मउछ, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री संजय अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-935)

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–2004.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि–1671, दिनांक 17 जुलाई 2002 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोहना, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–495, दिनांक 31 मार्च 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री संजय अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री संजय अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा, दिनांक 22 दिसम्बर 2025 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोहना, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक

जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री संजय अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-936)

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2005.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि–976, दिनांक 21 मार्च 2016 से महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, जंगीपुर, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–954, दिनांक 15 जून 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री दिनेश यादव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दिनेश यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा, दिनांक 08 दिसम्बर 2025 से महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, जंगीपुर, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दिनेश यादव, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-937)

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2006.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1366, दिनांक 05 जुलाई 2012 से निर्मित श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., डबरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–392, दिनांक 28 सितम्बर 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री विजय गौतम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री विजय गौतम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा, दिनांक 18 दिसम्बर 2025 से निर्मित श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., डबरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री विजय गौतम वरिष्ठ सहकरी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-938)

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2007.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1134, दिनांक 31 मार्च 2016 से संगम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–248, दिनांक 31 मार्च 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री विजय गौतम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री विजय गौतम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा, दिनांक 18 दिसम्बर 2025 से संगम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री विजय गौतम वरिष्ठ सहकरी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-939)

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2008.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1806, दिनांक 06 जुलाई 2006 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जंगीपुरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–546, दिनांक 31 मार्च 1990 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2025 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जंगीपुरा तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दिनेश सिंह यादव सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-940)

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2009.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1801, दिनांक 06 जुलाई 2006 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सूखापठा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–539, दिनांक 31 मार्च 1990 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा, दिनांक 18 दिसम्बर 2025 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सूखापठा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्था, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-941)

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2010.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र–परि–1781, दिनांक 06 जुलाई 2006 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मकोडा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–531, दिनांक 08 फरवरी 1990 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2025 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मकोडा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दिनेश सिंह यादव सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-942)

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2011.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–684, दिनांक 25 मार्च 2017 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मसूदपुर, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–569, दिनांक 30 सितम्बर 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2025 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मसूदपुर, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-943)

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–2012.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1783 दिनांक 06 जुलाई 2006 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पिछोर, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–532, दिनांक 08 फरवरी 1990 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2025 से तलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पिछोर, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-944)

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2013– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र–परि–1802, दिनांक 06 जुलाई, 2006 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित गिजौर्रा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–535 दिनांक 31 मार्च 1990 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा, दिनांक 18 दिसम्बर 2025 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित गिजौर्रा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-945)

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2014– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1901, दिनांक 12 सितम्बर 2018 से श्रीराम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, डबरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–565, दिनांक 08 सितम्बर 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा, दिनांक 18 दिसम्बर 2025 से श्रीराम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, डबरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-946)

ग्वालियर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2015.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1083, दिनांक 30 मार्च 2016 से महालक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय, डबरा बुजुर्ग, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–933, दिनांक 05 फरवरी 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा, दिनांक 18 दिसम्बर 2025 से महालक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय, डबरा बुजुर्ग, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दिनेश सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-947)

ग्वालियर, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2062– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2020–1897, दिनांक 07 सितम्बर 2020 से जय मां शीतला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जी.डब्ल्यू.आर.–593, दिनांक 04 अक्टूबर 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक द्वारा, दिनांक 30 दिसम्बर 2025 से जय मां शीतला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. पंजीयन रद्दीकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-948)

ग्वालियर, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2063.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–544 दिनांक 17 फरवरी 2005 से एम.ई.एस. कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–868, दिनांक 16 सितम्बर 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक द्वारा, दिनांक 30 दिसम्बर 2025 से एम.ई.एस. कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-949)

ग्वालियर, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2064.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2020–2932, दिनांक 07 सितम्बर 2020 से काजल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–540, दिनांक 22 जून 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर 2025 से काजल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-950)

ग्वालियर, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2065.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2016–1013, दिनांक 29 मार्च 2016 से चम्बल क्रय–विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–406, दिनांक 29 अप्रैल 2008 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर 2025 से चम्बल क्रय–विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-951)

ग्वालियर, 30 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2066.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2020–1929, दिनांक 07 सितम्बर 2020 से जय जय पीताम्बरा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–686, दिनांक 28 मार्च 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर 2025 से जय पीताम्बरा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-952)

ग्वालियर, 30 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2067.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2018–2098, दिनांक 04 अक्टूबर 2018 से जय वैष्णव प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जी.डब्ल्यू.आर.–615, दिनांक 21 अक्टूबर 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर 2025 से जय वैष्णव प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-953)

ग्वालियर, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2068.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2018–2357, दिनांक 10 दिसम्बर 2018 से पीताम्बरा महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्र.–डीआर–जी.डब्ल्यू.आर.–509, दिनांक 12 फरवरी 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक द्वारा, दिनांक 30 दिसम्बर 2025 से पीताम्बरा महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, जिला ग्वालियर, पंजीयन के, पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. पंजीयन रद्दीकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-954)

ग्वालियर, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2036.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2016–998, दिनांक 29 मार्च 2016 से माँ पीताम्बरा सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर, पंजीयन क्र.–डी.आर–जी.डब्ल्यू.आर–400, दिनांक 28 नवम्बर 2006 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री आनन्द कुमार, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री आनन्द कुमार, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2025 से माँ पीताम्बरा सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर, पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. पंजीयन रद्दीकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री आनन्द कुमार, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-955)

ग्वालियर, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2069.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2019–845, दिनांक 31 मई 2019 से भारतीय साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर, पंजीयन क्र.–डीआर–जी.डब्ल्यू.आर.–505, दिनांक 15 फरवरी 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर 2025 से भारतीय साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर, पंजीयन के, पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. पंजीयन रद्दीकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री ओ.पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-956)

ग्वालियर, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2030.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2017–708, दिनांक 25 मार्च 2017 से पीताम्बरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, चीनौर, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्र.–डी.आर–जी.डब्ल्यू.आर.–879, दिनांक 31 मार्च 1990 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत सुश्री मानसी शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

सुश्री मानसी शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2025 से पीताम्बरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, चीनौर, जिला ग्वालियर, पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. पंजीयन रद्दीकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक सुश्री मानसी शर्मा, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-957)

ग्वालियर, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2031.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2016–1073, दिनांक 30 मार्च 2016 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चिनौर, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्र.–डी.आर–जीडब्ल्यूआर–752, दिनांक 31 अगस्त 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत सुश्री मानसी शर्मा,सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

सुश्री मानसी शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2025 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चिनौर, जिला ग्वालियर, पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. पंजीयन रद्दीकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक सुश्री मानसी शर्मा, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G- 958)

ग्वालियर, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2032.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1996–239, दिनांक 21 जुलाई 1996 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवरीकला, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्र.–डी.आर–जी.डब्ल्यू.आर.–505, दिनांक 31 मार्च 1993 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत सुश्री मानसी शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

सुश्री मानसी शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2025 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवरीकंला, जिला ग्वालियर, पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. पंजीयन रद्दीकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक सुश्री मानसी शर्मा, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-959)

ग्वालियर, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2033.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2010–1100 दिनांक 23 जून 2010 से बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, शेखपुर, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक–डी.आर–जी.डब्ल्यू.आर.–11 दिनांक 24 नवम्बर 1959 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत सुश्री मानसी शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

सुश्री मानसी शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2025 से बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, शेखपुर, जिला ग्वालियर, पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. पंजीयन रद्दीकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक सुश्री मानसी शर्मा, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-960)

ग्वालियर, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2034.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परि.–2016–970, दिनांक 21 मार्च 2016 से जय शीतला महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बडेरा भारस, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक–डी.आर–जी.डब्ल्यू. आर–958 दिनांक 26 अप्रैल 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत सुश्री मानसी शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

सुश्री मानसी शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2025 से जय शीतला महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बडेरा भारस, जिला ग्वालियर, पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. पंजीयन रद्दीकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक सुश्री मानसी शर्मा, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-961)

ग्वालियर, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2035.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परि.–2012–295, दिनांक 31 मार्च 2012 से कावेरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, करहिया, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक–डी.आर–जी.डब्ल्यू.आर–809, दिनांक 13 मार्च 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 क सुश्री मानसी शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

सुश्री मानसी शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2025 से कावेरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, करहिया, जिला ग्वालियर, पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. पंजीयन रद्दीकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक सुश्री मानसी शर्मा, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-962)

ग्वालियर, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2037.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परि.–1997–2131, दिनांक 20 नवम्बर 1997 से माँ अल्पसंख्यक मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इस्लामपुरा, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक–डी.आर–जी.डब्ल्यू.आर–809, दिनांक 24 सितम्बर 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री आनन्द कुमार, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री आनन्द कुमार, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2025 से अल्पसंख्यक मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इस्लामपुरा, जिला ग्वालियर, पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. पंजीयन रद्दीकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री आनन्द कुमार, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-963)

ग्वालियर, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2038.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2020–1896, दिनांक 07 सितम्बर 2020 से दीनदयाल साख सहकारी संस्था मर्यादित, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक–डी.आर–जी.डब्ल्यू.आर–587, दिनांक 04 अक्टूबर 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री आनन्द कुमार, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री आनन्द कुमार, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2025 से दीनदयाल साख सहकारी संस्था मर्यादित, जिला ग्वालियर, पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. पंजीयन रद्दीकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री आनन्द कुमार, सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-964)

ग्वालियर, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2039.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2017–701, दिनांक 25 मार्च 2017 से ग्वालियर मोटर वाहन उपकरण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर, पंजीयन क्र.डी.आर–जीडब्ल्यूआर–488, दिनांक 05 दिसम्बर 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री विजय गौतम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री विजय गौतम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2025 से ग्वालियर मोटर वाहन उपकरण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर, पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश

सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. पंजीयन रद्दीकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री विजय गौतम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-965)

ग्वालियर, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2040.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2006–1600, दिनांक 06 जुलाई 2006 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सांखनी, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्र.डी.आर–जी.डब्ल्यू.आर–536, दिनांक 30 मार्च 1990 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री विजय गौतम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री विजय गौतम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2025 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सांखनी, जिला ग्वालियर, पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. पंजीयन रद्दीकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री विजय गौतम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-966)

ग्वालियर, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–2041.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2006–1413, दिनांक 23 मई 2006 से आदिवासी खनिज सहकारी संस्था मर्यादित, तिघरा, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्र.डी.आर–जी.डब्ल्यू.आर–255, दिनांक 30 दिसम्बर 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री विजय गौतम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री विजय गौतम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2025 से आदिवासी खनिज सहकारी संस्था मर्यादित, तिघरा, जिला ग्वालियर, पंजीयन के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जानां विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. पंजीयन रद्दीकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम–निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री विजय गौतम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था की संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

नरेश कुमार सिन्हा, उप रजिस्ट्रार.

(G-967)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2026—माघ 10, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाऐं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.